CONTENTS

Sixteenth Series, Vol. XI, Fifth Session, 2015/1937 (Saka) No. 8, Friday, July 31, 2015/Shravana 9, 1937 (Saka)

SUBJECT	PAGES
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos. 162 to 168	7-73
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 169 to 182	74-137
Unstarred Question Nos. 1841 to 2070	138-633

 $^{^{*}}$ The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE		634-663	
	MMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS O RESOLUTIONS 13 th Report	663	
	15 Report	003	
JOI	NT COMMITTEE ON OFFICES OF PROFIT 2 nd Report	663	
STA	NDING COMMITTEE ON FINANCE 15 th to 18 th Reports	664	
STA	NDING COMMITTEE ON URBAN DEVELOPMENT (i) 7 th Report (ii) Statement	664 664	
STA	NDING COMMITTEE ON CHEMICALS AND		
FER	TTILIZERS 11 th Report	665	
STA	NDING COMMITTEE ON HOME AFFAIRS 187 th and 188 th Reports	665	
	NDING COMMITTEE ON HEALTH AND MILY WELFARE 86th Report	665	
STA	TEMENTS BY MINISTERS		
(i)	Terrorist Attack in Gurdaspur, Punjab		
	Shri Rajnath Singh	667-670	
(ii)	Status of implementation of the recommendations contained in the 6th Report of the Standing Committee on Finance on Demands for Grants (2014-15), pertaining to the Ministry of Statistics and Programme Implementation		
	Gen (Retd.) Vijay Kumar Singh	671	

(iii)	Declaration of 7th Augus Day	st as National Handloom	
	Shri Santosh	ı Gangwar	672
BUSINESS OF THE HOUSE		673-676	
	MAND FOR SUPPLEMENTA ANTS (GENERAL) 2015-16	ARY	677
SUB	BMISSION BY MEMBERS Re: Statement made by the Monthe Terrorist Attack in Gu		678-682
	TION RE: 12 th AND 13 th REF PRIVATE MEMBERS' BILLS		704
PRI	VATE MEMBER'S RESOLUT Immediate steps for rehabilit displaced persons from Kash in various parts of the countr Shri Bhartrul	itation and welfare of nmir who are living ry in pitiable condition	705-707
ANN	NEXURE – I		
Mem	aber-wise Index to Starred Que	estions	708
Mem	nber-wise Index to Unstarred Q	uestions	709-714
<u>ANN</u>	NEXURE – II		
Mini	stry-wise Index to Starred Que	estions	715
Mini	stry-wise Index to Unstarred Q	Questions	716

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Sumitra Mahajan

THE DEPUTY SPEAKER

Dr. M. Thambidurai

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Arjun Charan Sethi
Shri Hukmdeo Narayan Yadav
Shri Anandrao Adsul
Shri Pralhad Joshi
Dr. Ratna De (Nag)
Shri Ramen Deka
Shri Konakalla Narayana Rao
Shri Hukum Singh
Shri K.H. Muniyappa
Dr. P. Venugopal

SECRETARY GENERAL

Shri Anoop Mishra

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Friday, July 31, 2015/Shravana 9, 1937 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER in the Chair]

... (*Interruptions*)

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : अध्यक्ष महोदया, बिहार में एक दलित महिला के साथ बलात्कार हुआ। ...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Hon. Members, I have received the following notices of Adjournment Motion:

Shri Mallikarjun Kharge, Shri M. Veerappa Moily, Shri K.C. Venugopal, Shri N.K. Premachandran, Shri Md. Badruddin Ajmal regarding violations of the provisions of Money Laundering Act;

Shri A.P. Jithender Reddy regarding High Court in Telangana;

Shri Rajesh Ranjan regarding sexual assault on a Dalit girl in Bihar; and

Shri M.B. Rajesh regarding abolition of death penalty in the country.

The matters though important do not warrant interruption of the business of the day. The issues can be raised through other means also.

I have, therefore, disallowed all the notices of Adjournment Motion.

... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : मैं बाद में आप सबको अलाऊ करूँगी; not now.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: After Question Hour, I will allow you.

... (Interruptions)

11.02 hrs

At this stage, Shri K.C. Venugopal, Shri N.K. Premachandran, Shri Shri Sankar Prasad Datta and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Hon. Members, please go back to your seats.

... (Interruptions)

11.02 ½ hrs

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

HON. SPEAKER: Now, Question Hour. Q. No. 162, Shri P.C. Mohan.

... (*Interruptions*)

(Q. 162)

SHRI P.C. MOHAN: Madam, in the answer, the hon. Minister has stated that the Government has not issued any directive to SEBI. So, I would like to ask the hon. Minister as to when the Government will issue the directive to SEBI to have women directors on the companies boards... (*Interruptions*)

SHRI JAYANT SINHA: Madam Speaker, as we have stated in our statement, as of now, out of the 5,362 listed companies, 1,577 are not in compliance right now. There is a set of fines that is being levied on these companies, which is sharply increasing day by day; and therefore, we expect them very soon to be able to comply with the one woman director requirement, which is listed in Clause 49 of the Listing Agreement. So, every quarter we get the report back from the companies. Let us see on October 1st, what the compliance levels are. If the compliance levels are not sufficient, we will consider what steps to take at that point... (*Interruptions*)

SHRI P.C. MOHAN: I would ask the hon. Minister as to when the Government PSUs will have the women directors because most of the Government companies do not have women directors on their boards... (*Interruptions*)

SHRI JAYANT SINHA: Madam, the hon. Member has asked the question about the Public Sector Enterprises. As far as the Public Sector Enterprises are concerned, we have 57 listed Public Sector Enterprises. Out of those, 24 do not have a woman director on their board. The Government is in the process of appointing non-official directors to the boards of these companies. We are hopeful that we will be in compliance very soon with respect to these Public Sector Enterprises as well... (*Interruptions*)

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Madam Speaker, what is happening in this House?... (Interruptions)

HON. SPEAKER: Hon. Members, please. I am sorry; you cannot come and stand in front of the hon. Minister while he is replying. Please go back to your seats.

... (Interruptions)

डॉ. मनोज राजोरिया: महोदया, मैं वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि उन्होंने सरकारी कम्पनियों में महिला डायरेक्टर्स की नियुक्ति के लिए जो अभी आश्वासन दिया है, उसे वे कब तक पूरा करने जा रहे हैं? ...(व्यवधान)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Is the Parliament helpless? Can only 40 people dictate to the entire country, take the House to ransom and try to take the name of the Prime Minister who is now respected worldwide?.... (*Interruptions*) They have been rejected by the people. They should feel shame. Madam, this is not acceptable to us.... (*Interruptions*) They do not want anything. They do not want issues to be discussed. They do not want to discuss public issues and farmers' issues.... (*Interruptions*) They do not want to discuss flood. They do not want to discuss issues like High Court. They do not want to discuss other issues. They are doing politicking. The entire country is watching what they are doing. Having lost power, they have not reconciled to their defeat. Madam, we cannot accept this. ... (*Interruptions*) I would request the hon. Speaker to take it seriously. Please take them seriously.... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: कविता जी, आप अपने स्थान पर जाइए।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: You cannot come here. It is not allowed. You are not allowed to come here. Please go to your seats.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: Shri Gaurav Gogoi, you cannot come here.

... (*Interruptions*)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: "While the House is sitting, a Member shall not read a book, shall not interrupt the Members, shall bow before the Chair, shall not go to the Well of the House and also shall not exhibit anything, shall not approach the Chair personally in the House, shall not wear to display badges of any kind in the House." These are all against the rules.

HON. SPEAKER: I know it.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Madam, you have to name the Members.... (*Interruptions*) There is no way. We cannot have these interruptions to go on every day. It is a fraud being played on the democracy of the country. ... (*Interruptions*) HON. SPEAKER: Again and again I am requesting Shri Gaurav Gogoi and all of you not to show any placard. Otherwise I will have to name you. Please go to your seats. Do not show the placard, please. All of you, whosoever is having placards, please put them down. No placards please. I am requesting Shri Gaurav Gogoi, Sushmita Ji and all of you not to show placards.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: Otherwise, I will have to name you. Please put down the placards.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: Kavitha Ji, this is not your place. It is not permitted. You come here. This is not the way. You cannot go there. You can come this side but not that side.

... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष: मनोज राजोरिया जी, क्या आपने प्रश्न पूछ लिया है?

...(व्यवधान)

डॉ. मनोज राजोरिया: जी हां। मैं मंत्री जी से जवाब चाहूंगा। अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी कृपया यह बताने की कोशिश करें कि ...(व्यवधान)

श्री जयंत सिन्हा: पब्लिक सैक्टर इंटरप्राइजेस के बोर्ड में महिलाओं का हम लोग चयन कर पाएंगे। ये सब जो पब्लिक सैक्टर इंटरप्राइजेस हैं...(व्यवधान) 24 पब्लिक सैक्टर इंटरप्राइजेस हैं जिन पर महिलाओं का अभी तक चयन नहीं किया गया है।...(व्यवधान) हम लोग इस काम में लगे हुए हैं। क्वालीफाइड कैंडिडेट्स बहुत सारे हैं। हम चाह रहे हैं कि इन बोर्ड्स में ऐसे-ऐसे लोगों को चुनें जिनका बोर्ड के साथ अच्छा तालमेल रहे और जो काफी दिनों तक बोर्ड्स में अपनी सर्विस दे सकते हैं।...(व्यवधान) हम लोग इस काम में लगे हुए हैं। एक टाइम फ्रेम देना कठिन है परन्तु जल्द से जल्द सरकार इन लोगों का सलैक्शन कर लेगी।...(व्यवधान)

डॉ. किरिट पी. सोलंकी: महोदया, सरकारी कम्पनियों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, मैं इसके लिए मांग करता हूं। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को भी पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्स में डायरैक्टर के तौर पर प्रतिनिधित्व देगी?

श्री जयंत सिन्हा: जब हम लोग पब्लिक सैक्टर इंटरप्राइजेस में डायरैक्टर चुनते हैं तो हमारी हरदम यह कोशिश होती है कि इस पर अच्छे तरीके से पूरा महत्व दें। इस कारण आज के समय में भी कई बोर्ड्स हैं जिनमें सब जातियों, वर्गों के लोग शामिल हैं। अगर माननीय सांसद इस पर थोड़ा गौर करेंगे तो देखेंगे कि आज के समय में पब्लिक सैक्टर इंटरप्राइजेस में ऐसे कई डायरैक्टर्स हैं जो इन वर्गों से भी आए हुए हैं। हमारी हरदम यही कोशिश रहेगी कि जनता के प्रतिनिधियों को पूरी तरह रिप्रैजैंटेशन मिले।...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Again and again, I am requesting you to put down all the placards. This is not fair. This is against the rules.

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह शोभा नहीं देता। ठीक है, हम टीवी पर भी दिखा सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। आप ही सोच लीजिए कि क्या करना है।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Please put down the placards.

... (Interruptions)

(Q. 163)

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक: अध्यक्षा जी, मैंने पहले प्रश्न में यह पूछा था कि क्या सरकार का विचार दार्जिलिंग चाय अनुसंधान और विकास केन्द्र कुर्सेग का उन्नयन करने का है? यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? ...(व्यवधान) इसमें ब्यौरा आया है लेकिन सरकार उस अनुसंधान में प्रति वर्ष कितनी धनराशि व्यय कर रही है, वहां कुल कितने पद खाली हैं, कब से खाली हैं और यदि नहीं भरे गए तो क्यों नहीं भरे गए और कब तक भरेंगे?...(व्यवधान) अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितनी विदेशी मुद्रा मिलती है और उसे आगे बढ़ाने की दृष्टि से इस अनुसंधान केन्द्र के बारे में केन्द्र सरकार ने क्या योजना बनाई है? ...(व्यवधान)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Madam Speaker, the upgradation of the Darjeeling Tea Research and Development Centre is a continuous and an ongoing process, which was initiated during the 11th Plan and is aimed at making this DTR&DC a Centre of Excellence for undertaking research and development work for the Darjeeling Tea.... (*Interruptions*) About 120 million kilograms of orthodox tea is produced ... (*Interruptions*) Of the total 1,200 million kilograms that we produce in this country, 120 million kilograms of tea is of orthodox variety.... (*Interruptions*) Of this, Darjeeling Tea alone accounts for 9 million kilograms.

The Government's expenditure is not at all being reduced.... (*Interruptions*) In fact, in 2013-14, Rs. 1.12 crore were spent. Of course, in 2014-15, that amount was reduced in terms of utilization to Rs. 66 lakh. ... (*Interruptions*) However, the samples that we are receiving for testing and proving quality are also increasing in number. ... (*Interruptions*) Our intention is to make sure that this centre becomes a Centre of Excellence.

As regards any Question to do with employment or recruitment in these Centres, I can assure the Member that there is no reduction in the recruitment. ... (*Interruptions*) The standardization of food safety and other parameters are also being taken care of through this Centre in order to comply with quality control. So, there is absolutely no reduction both in number of personnel and in terms of the resources being spent. ... (*Interruptions*) I can assure this to the House. ... (*Interruptions*)

डॉ. रमेश पोखिरयाल निशंक: अध्यक्ष जी, एक कमेटी वहां के प्रवास पर गई थी, उस अनुसंधान केन्द्र का भी हम लोगों ने निरीक्षण किया था। उस अनुसंधान केन्द्र पर जो पैसा व्यय हो रहा है, वह चाय उत्पादककर्ता कर रहे हैं, भारत सरकार व्यय नहीं कर रही है। 10 वैज्ञानिकों के स्थान पर केवल एक वैज्ञानिक ही काम कर रहा है और वर्षों से पद रिक्त है। जितना उत्कृष्ट शोध होना चाहिए था उसमें व्यवधान हो रहा है। क्या सरकार को मालूम है कि अंग्रेजों के जमाने के वहां दर्जनों बागान हैं, उन बगानों को सरकार कब आबाद करेगी। इस व्यवसाय से लाखों श्रिमिक जुड़े हुए हैं, इसमें स्थायी और अस्थायी कितने लोग हैं और उनके कल्याण की क्या व्यवस्था है?

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Madam Speaker, I would just like to draw the attention of the hon. Member and say that in the Twelfth Plan out of Tea Board's total funds nearly 80 per cent funding is given to Tea Research Institutions, their manpower and also for research activities. ... (*Interruptions*) In this regard, I would like to say that the total outlay for R&D in 2014-2015 is Rs. 17 crore; in 2013-2014, it was Rs. 21 crore; and in 2015-2016, it shall still be Rs. 21 crore. ... (*Interruptions*) There is absolutely no reduction. ... (*Interruptions*) But as regards the specific Question that the hon. Member has asked about Uttarakhand, Tea Board also looks at associating with institutions like the Tea

Uttarakhand, Tea Board also looks at associating with institutions like the Tea Research Association and Tea Research Foundation of the United Planters' Association of the Southern India, which will provide assistance through these Centres and through the Board directly to take care of areas like Uttarakhand too, which have been traditionally growing tea. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Again and again I am warning you that if you go on like this it is okay, but I will not adjourn the House today. I am telling you. You go on shouting.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I am sorry, but I am not going to adjourn the House.

 \dots (Interruptions)

HON. SPEAKER: You have to put the placards down today. I will not do it.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: If you want to show all these things, then let the whole country see this. I have no objection to it.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Let the whole country see this, but I will not do it.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Today, I will not adjourn the House. I am sorry.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: You can go on.

... (Interruptions)

SHRI K. PARASURAMAN: Hon. Speaker, Madam, there is a demand for organic tea varieties in the global market, but the pesticide residue is the major hurdle in the export of organic tea, and major organic tea producers are small growers who are not aware of the usage of pesticides. ... (*Interruptions*)

So, I would like to ask this from the hon. Minister. ... (*Interruptions*) What actions are being taken by the Government to educate growers about pesticides? ... (*Interruptions*) What actions are being initiated by the Government to ensure total reduction of pesticide residue levels in tea so as to get the Indian tea varieties qualified in the international food safety tests and encourage exports? ... (*Interruptions*) Thank you very much, Madam. ... (*Interruptions*)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Madam Speaker, I would like to tell the hon. Member that as regards ensuring that there are no pesticide residues, every action is being taken by the Tea Board, be it in terms of standards of the quality of tea to be produced or the pesticides which cannot be used and so on. All the farmers are being educated -- whether in small farming areas of Assam where small tea growers contribute a lot more than the larger ones, or in areas of the South where there is a greater interest in moving out of traditional growing and converting to organic farming of tea. The Tea Board is definitely working with standards established internationally as regards pesticide residue in tea, and making sure that it should be minimized at the earliest. There are a lot of

awareness camps being held by the Tea Board, both in Assam and in the South. If the Member has any concerns, he can approach us and we are willing to work together with him.

श्री प्रहलाद सिंह पटेल: अध्यक्ष महोदया, में माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि दार्जिलिंग चाय दुनिया की रेट खोलती है। ...(व्यवधान) जो अनुसंधान है, उसकी स्थिति के बारे में अभी निशंक जी ने बताया है। ...(व्यवधान) मैं मंत्री जी से दो बातें जानना चाहता हूं। ...(व्यवधान) टी-बोर्ड का जो कामकाज है, उससे राज्य सरकारों का कोई कोआर्डिनेशन नहीं है। ...(व्यवधान) जहां तक अनुसंधान का सवाल है, उसके लिए पैसा न तो केन्द्र सरकार दे रही है और न ही टी-बोर्ड दे रहा है, बल्कि जो चाय बागान उत्पादक हैं, वे दे रहे हैं। ...(व्यवधान) लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार ने दस साल पहले एक सर्कुलर निकाला कि आप किसी कीमत पर चाय के नये बागान नहीं लगा सकते। ...(व्यवधान) छोटा किसान, जिसे अनुमित नहीं है, वह चाय उगा रहा है, लेकिन उसकी चाय को बिकने का मौका नहीं मिलती। ...(व्यवधान) अगर वह जैविक तरीके से चाय पैदा करना चाहता है, तो उसे बाकी सुविधाएं नहीं मिलतीं, जबिक सबसे बड़ी संख्या छोटे किसान उत्पादकों की ही है। ...(व्यवधान) इससे अनुसंधान प्रभावित है। जो छोटा किसान वहां चाय पैदा करना चाहता है, उसे उसकी परिमशन नहीं है। ...(व्यवधान) मुझे लगता है कि जब तक टी-बोर्ड और राज्य सरकार का कोआर्डिनेशन नहीं होगा, तब तक यह व्यवसाय कभी फल-फूल नहीं सकता। ...(व्यवधान) में आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या छोटे किसान को परिमट मिलेगा? ...(व्यवधान) अगर पश्चिम बंगाल सरकार ने दस साल पहले कोई गलती कर दी, तो क्या उसे सुधारने में सरकार शीघ्रता करेगी? ...(व्यवधान)

दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि अनुसंधान की जो प्रयोगशालाएं हैं, क्या टी-बोर्ड या भारत सरकार उन्हें सुविधा मुहैया कराकर उस कमी को पूरा करने का काम करेगी? ...(व्यवधान)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Madam, I would like to inform the hon. Member that the tea research activities are certainly under the Tea Board, which is under the Commerce Ministry. It is not with the State authorities.

As regards the matters related to the tea gardens in West Bengal, the Commerce Ministry and the Tea Board are working together with the State Government in West Bengal on *bagaans* which are closed, as regards looking for newer buyers and so on.

About Madhya Pradesh, the Member raised a point regarding non-traditional areas. I do not know whether I got him wrong. ... (Interruptions) श्री प्रहलाद सिंह पटेल: अध्यक्ष महोदया, मैं यह कह रहा था कि पश्चिम बंगाल में जमीन है ...(व्यवधान) अगर छोटे चाय उत्पादक चाय पैदा कर रहे हैं, तो उन्हें उसके लिए परिमशन नहीं मिल रही है। ...(व्यवधान) उन्हें न तो सब्सिडी मिलती है और न ही उन्हें अनुसंधान का लाभ मिलता है। ...(व्यवधान) एक मामूली सा सर्कुलर पश्चिम बंगाल सरकार का है। ...(व्यवधान) मुझे लगता है कि इस बारे में कोई नियम आड़े नहीं आ रहा। ...(व्यवधान) सिर्फ समन्वय की कमी है। ...(व्यवधान) लेप्स ऑफ कोआर्डिनशन है, ऐसा मेरा मानना है। ...(व्यवधान) क्या इसे दूर करने का काम भारत सरकार करेगी? ...(व्यवधान) राज्य सरकार को कोई अधिकार नहीं है कि वह ऐसा सर्कुलर निकाले। ...(व्यवधान) इससे लाखों किसान और मजदूर प्रभावित हैं। ...(व्यवधान) यह सिर्फ समन्वय की कमी है। ...(व्यवधान) क्या भारत सरकार उस काम को करेगी? ...(व्यवधान)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Absolutely not, Madam. I have visited West Bengal myself. I have gone to the tea gardens myself. As regards working together with the West Bengal Government, if the question pertains to West Bengal, I am in close interaction with the State Government there and also to make sure that better facilities and the Tea Board's attention reach the West Bengal Government. The State Government has disallowed conversion of land to the tea gardens. We have taken this issue up with them. However, as regards subsidies not reaching small growers, I am not sure if the data is completely available with the Member. I have reviewed the process myself. The subsidies which have to reach them are definitely reaching them. If there are any small anomalies about which the hon. Member wants to inform me, I am quite open to receiving his thoughts. ... (Interruptions)

HON. SPEAKER: Please, again and again I am requesting you. मुझे आप पर एक्शन लेने के लिए मजबूर मत करो। ये सभी प्लैकार्ड्स नीचे रखिए।

...(व्यवधान)

SHRI PREM DAS RAI: Madam, I seek your permission to ask the question from this seat. I am very happy to hear the views expressed and the answers given by the hon. Minister. I would just like to ask the Minister as to why the tea gardens of Sikkim which produces one of the world's finest teas is not getting the kind of attention that it merits. I would, through you, like to know from the hon. Minister - who has already expressed that she has visited the gardens in West Bengal -- whether she has also visited the gardens in Sikkim and the growers of Sikkim because we produce one of the finest teas. I think, the tea research is not really reaching our State. This is something that needs to be brought to the attention of this House.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Madam, I would like, through you, to inform the hon. Member that I have certainly not visited Sikkim and the tea gardens. However, about the quality of tea produced in Sikkim, we certainly have a lot of information. We appreciate the good work which is going on in Sikkim. In fact, here in this context, I would like to state that the Prime Minister himself has several times informed us about the quality and also about the potential of growing organic tea in Sikkim. The Board is already preparing a special package for Sikkim tea especially concentrating on organic farming. I shall certainly be visiting Sikkim and the tea gardens. We are focusing on making sure that Sikkim tea, particularly the organic type, gets an international market. ... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रही हूं, आप कुछ लोग 300 से ज्यादा लोगों का अधिकार मार रहे हैं। यहां 300 से ज्यादा मैम्बर्स प्रश्न पूछना चाहते हैं। I am again and again requesting you.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: Q. No. 164 Shri Sanjay Dhotre. He is not coming. He has informed me that he is not coming.

Dr. A. Sampath – Not present.

Hon. Minister can answer.

(Q. 164)

SHRI RABINDRA KUMAR JENA: Madam Speaker, I thank you for allowing me to put a supplementary question. The Nirbhaya incident which has shaken the whole country, is still in the memory of all of us. After the incident, the Government had decided that it would have a specific allocation of a type of Nirbhaya Fund. But the fact remains that as of today, less than two per cent of the fund has been spent in the whole country. The Fund was supposed to be managed by the Home Ministry. There are reports that it has now come to the Ministry of Women and Child Development. Now there is a decision to set up a Nirbhaya Centre in each district, about 650 centres were supposed to be set up in the whole country. But there are recent reports which say that it will not be set up in each district but it will set up one centre in each State. My question is when hardly two per cent of this Fund has been spent so far, what is the rationale of the decision, not to set up one centre in each district? In this context, can I ask the hon. Minister through you a question? Will the Government reconsider its decision and set up one centre in each district including the district of Balasore in my constituency? SHRIMATI MANEKA SANJAY GANDHI: Madam Speaker, the first centre has been set up already in Raipur. I have just returned from it incidentally. We are setting up 36 centres which we will have by the end of the year. I have deliberately not gone in for 660 immediately because we want to see how these work. Each one requires intensive skill training. Therefore, by the end of this year we will have 36, and we will look at their progress and how they service needs. They are called Sakhi centres. If they work well, within three months we will start setting up the rest of the 660. I agree that 660 are needed, one for each District. Hopefully during my tenure they will be set up. But we are starting first with 36, one for each State and UT.

श्री भैरों प्रसाद मिश्र: माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस समय जैसे उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार होने के केसेज बहुत ज्यादा बढ़े हैं।...(व्यवधान) अभी अभी एक घटना घटी। इधर एक वर्ष पूर्व एक महिला के साथ बलात्कार हुआ था जिसमें बलात्कारियों को वहां के सत्तारुढ़ पार्टी के लोगों का संरक्षण प्राप्त था।...(व्यवधान) उस महिला पर दबाव डाला जा रहा था कि वह अपना बयान बदल दे लेकिन उसने बयान नहीं बदला और उस पर इतना दबाव डाला गया कि उसको जलाकर मार डाला गया। ऐसे ही हमीरपुर में अभी एक छात्रा के साथ छेड़खानी की गई और उस पर जब रिपोर्ट नहीं लिखी गई तो उसने आत्महत्या कर ली जिस पर अभी भी जन आंदोलन हो रहा है।...(व्यवधान)

मैडम, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार अगर उन पर कार्रवाई नहीं कर रही है बल्कि उनको संरक्षण देने का काम कर रही है तो यहां पर केन्द्र सरकार द्वारा, माननीय मंत्री जी द्वारा महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए क्या कार्रवाई की जाएगी?

SHRIMATI MANEKA SANJAY GANDHI: Madam, this is a difficult question to answer for me because it pertains really to the Home Ministry. However, one of the answers is to put 33 per cent of women in the police force. I have repeatedly written to the Chief Minister of Uttar Pradesh to increase the representation of women in police force to 33 per cent. Our Government is making sincere efforts in this. The Home Minister and the Prime Minister have put into the UTs 33 per cent and that is working very well. It sensitizes the whole police force, it adds to the element of protection of women. In Gujarat also they have done 33 per cent and it is going very well. This would be the best solution. One is to have 33 per cent women. The second would be to put up the Sakhi centres in every District and gradually this will also happen.

डॉ. वीरेन्द्र कुमार: माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे पूरक प्रश्न पूछने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

देश में महिला अधिकारों के संरक्षण के लिए काफी कानून बने हैं। समय समय पर उनमें संशोधन भी होते रहते हैं। ...(व्यवधान) घरेलू हिंसा से महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण अधिनियम 2005 है, दहेज अधिनियम 1961 है, कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 है। लेकिन व्यावहारिक रूप में देखने में आता है कि दहेज से प्रताड़ित होकर महिलाओं को जला देने की घटनाएं हमारे समाज में आए-दिन घटती

रहती हैं। विधवा हो जाने पर जो महिला कल तक घर की मालिकन रहती है, विधवा हो जाने पर उसी के परिवार के लोग उसके साथ मारपीट करके उसको घर से निकाल देते हैं। ऐसे ही कामकाजी महिलाओं को भी अपने काम के स्थानों पर काफी किठनाइयों का सामना करना पड़ता है। ... (व्यवधान) उसका मूल कारण यह होता है कि जिन अधिकारियों और कर्मचारियों की यह जिम्मेदारी होती है कि महिलाओं को संस्क्षण देकर उनको उनके अधिकार दिलाए जाएं, उनके अंदर जितनी संवेदनशीलता होनी चाहिए, उतनी संवेदनशीलता उनमें नहीं होती। मैं माननीय मंत्री जी से इस संबंध में जानना चाहता हूं कि क्या संबंधित विभागों के अधिकारियों और पुलिस कर्मचारियों के अंदर संवेदनशीलता जगाने के लिए महिलाओं के साथ सहयोग नहीं करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कोई विचार बनाएंगे?

इसके साथ ही साथ मैं इस विषय की ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि निरन्तर बच्चों के लापता होने की घटनाएं घटती रहती हैं और अनाथ बच्चों के बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर पाए जाने की घटनाएं भी लगातार घटती रहती हैं।...(व्यवधान) अब बच्चों के संरक्षण के लिए बाल कल्याण समितियां बनाई गईं हैं और अनाथालय बनाये गये हैं। राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग भी बनाया गया लेकिन यहां पर भी बच्चों को जो संरक्षण मिलना चाहिए, वह संरक्षण संवेदनशीलता के अभाव में उनको नहीं मिलता और वे बच्चे परेशान होते रहते हैं।...(व्यवधान) इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या दोनों ही विभागों के यानी महिला और बाल विकास विभाग से संबंधित विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों में संवेदनशीलता जगाने के लिए क्या कोई प्रयास किये जाएंगे और इसमें लापरवाही और उदासीनता बरतने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कदम उठाए जाएंगे?

श्रीमती मेनका संजय गांधी: महोदया, महिलाओं और बच्चों के लिए बहुत सारे कानून बने हैं और from time to time, they are changed to make them stronger. ... (Interruptions) At the moment, one of the solutions to sensitize the police to begin with would be to have 33 per cent women in police. ... (Interruptions) Secondly, we are doing two things. One is, in the Railways we have started a programme to sensitize all the officials especially at stations. From this month that is August, we will have posters in every bogie, giving phone numbers to inform about any children that we find in the Railways or they look as if they were kidnapped. ... (Interruptions) We have taken up 20 main railway Stations where the largest number of children were found and everyone is being sensitized. There are workshops for which we have put NGOs in about 200 railway stations. ... (Interruptions) We have an

institution childline. Childline is now working in more than 300 areas. ... (*Interruptions*) If there are any children on the road who have been abused or lost or have run away, there is a phone number 1098 to inform about such children and they can be picked up. ... (*Interruptions*) By the end of 2015, we are trying to increase Childline to 500 areas in this country which will hopefully cover most of the districts. So we are looking for NGOs to partner with. ... (*Interruptions*)

We have also started a new thing *Khoya Paya* which is an amazingly new idea. ... (*Interruptions*) If your child is lost, you can upload the photograph and details of the child on the site and if anybody has seen the child anywhere, they also put the details on the site. ... (*Interruptions*) So far, due to this site, in the last two months we have recovered over 250 children compared to zero that happened in the last fifty years. ... (*Interruptions*) It is actually working with people's involvement. So, a number of things have been done and we will hopefully do better, especially in the area of children. ... (*Interruptions*)

SHRI P.R. SUNDARAM: Hon. Speaker Madam, the crimes against women and children are matter of concern in the country. ... (*Interruptions*) So, there is an urgent need for severe action to prevent the increase in crimes and violence against women and children. ... (*Interruptions*) To curtail the situation, our hon. Chief Minister Puratchi Thalaivi Amma has been implementing various schemes like Cradle Baby scheme and women police stations in all parts of Tamil Nadu, mainly to protect women. ... (*Interruptions*) The hon. Minister's answer shows that Tamil Nadu is the best performing State in the country in preventing crimes against women. ... (*Interruptions*) So, I would like to ask the hon. Minister whether the Ministry of Women and Child Development has instructed all the States Governments to create a separate wing of women police in all the States especially in metros. ... (*Interruptions*)

SHRIMATI MANEKA SANJAY GANDHI: I agree that Tamil Nadu is doing well in protection of women and I congratulate the State Government. ... (*Interruptions*) There is no provision to ask the State Governments to make a

separate provision for women in police. ... (*Interruptions*) In fact, I think it should be integrated so that men can be better sensitized when they work with women.

HON. SPEAKER: Q.No. 165. Shri M. Murli Mohan – not present.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: Dr. Shashi Tharoor – do you want to ask or not? Okay.

... (Interruptions)

(Q.165)

श्री निशिकान्त दुवे: धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। ...(व्यवधान) मंत्री महोदय का जो जवाब है और देश में जो मैसेज जाता है कि ट्रेनर एयरक्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टर्स बहुत ज्यादा क्रैश होते हैं। बार वावव्स एसोसिएशन, डिफेंस पर्सनेल एसोसिएशन इसके बारे में हंगामा करते रहते हैं।...(व्यवधान) बार-बार आने वाली सीएंडएजी की रिपोर्ट यह कहती है कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और मेक इन इंडिया का प्रोग्राम है और जो एचएएल एवं डीआरडीओ के साथ मिलकर करना चाहती हैं, चाहे ट्रेनर एयरक्राफ्ट बनाने का सवाल हो, चाहे हेलीकॉप्टर बनाने का सवाल हो, चाहे फोर्थ जेनरेशन, फिफ्थ जेनरेशन या सिक्स्थ जेनरेशन एयरक्राफ्टस बनाने का सवाल हो, वे सभी प्रोजेक्ट बेचने में, खरीदने में या ऑफसेट में लम्बित रहते हैं। ...(व्यवधान) आप यह समझिए कि वर्ष 2002-2003 के प्रोजेक्ट्स को भारत सरकार आज तक पूरा नहीं कर पाई है। इस डिले के पीछ जो रीजन्स होते हैं, उनके लिए अधिकारियों को कितना पनिशमेंट मिलता है? ...(व्यवधान) कब तक ट्रेनर एयरक्राफ्ट के लिए, हेलीकॉप्टर के लिए और जेनरेशन फोर, फिफ्थ जेनरेशन एवं सिक्स्थ जेनरेशन एयरक्राफ्ट्स के लिए यह डिफेंस मिनिस्ट्री तैयार हो जाएगी? मैं आपके माध्यम से यह डिफेंस मिनिस्टर से पूछना चाहता हूं।...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: You can change the place. You can go to a back row also, if you want.

... (Interruptions)

श्री मनोहर परिकर: स्पीकर मैडम, जो सवाल पूछा गया है, उसके पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि एक्सीडेंट का जो डेटा है, वह डेटा पिछले पांच दशकों में कम से कम होता जा रहा है। In the years 1970 to 1980, the average number of accidents per year was 29; in 1980 to 1990, they were 31; in 1990 to 2000, they were 26 per year; in 2000 to 2010, they were 17 per year. ... (*Interruptions*) In the last five years, they have got reduced to nine per year. We are still targeting for a lower figure. ... (*Interruptions*) So, the instances of accidents are getting reduced.

As far as his other question is concerned, I can assure that the Government is looking into developing new and better quality aircraft but those aircraft which are flying are flying only when they are in a condition to fly and no one need to worry about that. ... (*Interruptions*)

The helicopter crashes have come down from five per year to 1.4 per year. So, we are taking care of the air fleet and crashes have been reducing. ... (*Interruptions*) We will further attempt to reduce the crashes.

HON. SPEAKER: Thank you.

... (Interruptions)

श्री रमेश विधूड़ी: कल पूरा देश शोक में डूबा हुआ था और एक मुख्यमंत्री महिलाओं के साथ डांस कर रहे थे। क्या यही नैतिकता है?...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record.

... (Interruptions)... *

HON. SPEAKER: Nothing will go on record.

... (Interruptions)... *

HON. SPEAKER: Q.No. 166.

Shri Bheemrao B. Patil – not present.

Shri Vishnu Dayal Ram

... (Interruptions)

.

^{*} Not recorded.

(Q.166)

श्री विष्णु दयाल राम: अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान करने के लिए नए दिशानिर्देश या मापदण्ड प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो वह कब तक होगा? इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि डाक्टर रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट और हाल ही में आए सोशियो-इकोनोमिक सर्वे में झारखण्ड की स्थिति बहुत ही दयनीय दर्शाई गयी है। ऐसी परिस्थिति में झारखण्ड को स्पेशल राज्य का दर्जा प्रदान करने या स्पेशल इकोनोमिक पैकेज देने के बारे में क्या सरकार विचार कर रही है?

राव इंद्रजीत सिंह: मैडम, पिछले साल के दौरान कई प्रांतों ने स्पेशल केटेगरी स्टेटस की मांग रखी है। सन् 2015-2016 के अंदर स्पेशल पैकेज के बारे में बिहार और ओडिशा ने मांग रखी है। पोजिशन यह है कि मौजूदा साल के दौरान स्पेशल केटेगरी स्टेटस के विषय पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। जो 14वां वित्त आयोग था, उसकी जो सिफारिशें थीं, वे मौजूदा सरकार ने कुल मिलाकर मान ली हैं। जिसके तहत पहले जो सेंट्रल डिवीसिबल पूल का पैसा हुआ करता था टैक्स का, वह 32 प्रतिशत से बढ़कर 42 प्रतिशत कर दिया गया है। आज की स्थित में किसी नए प्रांत को नया स्पेशल केटेगरी स्टेटस देने का विचार नहीं है।...(व्यवधान)

SHRI TATHAGATA SATPATHY: Madam, thank you very much for giving me this opportunity.... (*Interruptions*) As we all know, the NITI Aayog is comfortably sitting over 20,000 crore of rupees for no apparent reason. The Government by the cancellation of Centrally sponsored schemes and grants has made Odisha lose Rs.8,300 crore which is a huge sum for a State like Odisha. Apart from asking that we be considered for a Special Category State, I also would like to know from the hon. Minister through you, Madam, that if we are losing out Rs.8,300 crore and we are getting Rs.5000 crore through the increase of this 10 per cent, there is a deficiency of Rs.3,300 crore. I would like a specific answer through you, Madam, from the Minister. Will the Government make good for my State of Odisha this deficit, this loss of Rs.3,300 crore that we are bearing.... (*Interruptions*)

RAO INDERJIT SINGH: Madam, by and large States have got more funds after they have received 42 per cent share of the direct taxes. According to the new

dispensation there is no specific provision for reimbursing States if they say that they have lost it, We, as the Government, have taken a decision to take the 14th Finance Commission's recommendations on board and that is what we are adhering to. If any State has a specific problem it can address it to us and we will look at it. But as far as the Government is concerned, today 42 per cent is what we are giving the States as compared to 32 per cent earlier and that is where the matter stands.... (*Interruptions*)

श्री राजेश रंजन: अध्यक्ष महोदया, बिहार में 5 करोड़ 86 लाख लोग भूमिहीन हैं और 78.8 प्रतिशत लोग पांच रुपए से कम में रोजाना जीवनयापन करते हैं। नरेन्द्र मोदी जी जब बिहार आए थे, तो उन्होंने कहा था कि हम बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा देंगे। बिहार की स्थिति आर्थिक और सामाजिक रूप से हिन्दुस्तान में ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड से भी दयनीय है। बिहार सबसे गरीब प्रांत है और वहां सबसे ज्यादा भूमिहीन हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जी जो बात कहते हैं, क्या आपके मंत्रालय ने उसे सुना नहीं, क्योंकि उन्होंने जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात कही, उस पर आपका मंत्रालय क्या विचार कर रहा है? क्या आपका मंत्रालय बिहार को विशेष दर्जा देगा? इसी सदन में क्या मंत्री जी घोषणा करेंगे कि बिहार को कोई स्पेशल पैकेज दिया जाएगा? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जी ने जो बात कही, उस पर आपका मंत्रालय क्यों नहीं ध्यान देता है?

राव इंद्रजीत सिंह: महोदया, जैसा कि मैंने बताया है कि बिहार और ओडिशा दो प्रांत ऐसे हैं,...(व्यवधान) जिन्होंने स्पेशल पैकेज मांगा है...(व्यवधान) हम स्पेशल केटेगिरी नहीं दे सकते हैं...(व्यवधान) लेकिन स्पेशल सेन्ट्रल असिस्टेंस देने की बात आज के दिन विचाराधीन है...(व्यवधान) और उस पर अभी तक फैसला नहीं हुआ है...(व्यवधान) इनके अलावा और भी प्रांत ऐसे हैं, जिन्होंने स्पेशल पैकेज मांगा है, जिस पर अभी पूरे तौर पर निर्णय नहीं हो पाया है।...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Again and again I am requesting all of you यहां तीन सौ से ज्यादा मैम्बर्स ऐसे हैं जो प्रश्न पूछना चाहते हैं। उनमें पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के हैं। आप उनका अधिकार मार रहे हैं।

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: Again and again I am requesting you कि अपने-अपने प्लेकार्ड्स नीचे रख दीजिए और अपनी जगह पर जाइए।

...(व्यवधान)

SHRI V. ELUMALAI: I would like to know whether the Government has decided to give a special package for socio-economic development of the backward, tribal and hilly areas of Kalrayan Malai and Javvadu Malai in Tamil Nadu... (*Interruptions*)

RAO INTERJIT SINGH: Madam, as I have said, the Backward Areas Grant Fund and Hilly Area Development Fund which used to be given earlier are no longer applicable... (*Interruptions*). The share of taxes which used to be given has been increased from 32 per cent to 42 per cent... (*Interruptions*).

I would also like to answer to the Members from Bihar and Odisha who had raised the same question earlier. Under 2014-15 dispensation, Odisha received Rs.29250 crore ... (*Interruptions*). Under 2015-16 dispensation, after the increase of 10 per cent from 32 per cent to 42 per cent, their allocation has increased to Rs.34,703 crore which is approximately an increase of Rs.5000 crore... (*Interruptions*). Simiarly, Bihar under the earlier dispensation got Rs.56,781 crore, now under the new dispensation, it is going to get Rs.66210 crore... (*Interruptions*).

In fact, as far as we know, almost all the States have got more than what they were receiving earlier after the new dispensation has been put in place. श्री सी.आर.चौधरी: अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे सप्लीमेंटरी प्रश्न पूछने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं...(व्यवधान) मैं माननीय मंत्री जी को अपने प्रदेश की स्थिति के बारे में अवगत कराना चाहूंगा कि राजस्थान का 2/3 एरिया एरिड और सेमी-एरिड जोन है...(व्यवधान) डेज़र्ट जोन है, जहां 15 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है...(व्यवधान) यहां बहुत ही हार्डिशप है। हमारे राज्य की लोंग डिमाण्ड है कि इसको विशेष दर्जा दिया जाए...(व्यवधान) मुझे आपने इस प्रश्न के माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानने का अवसर दिया है...(व्यवधान) और मैं माननीय मंत्री जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा...(व्यवधान) कि राजस्थान की डेज़र्ट और सेमी-डेज़र्ट कंडीशन को देखते हुए राजस्थान को विशेष स्टेट का दर्जा दिया जाना चाहिए...(व्यवधान) और विशेष इकोनॉमिक पैकंज दिया जाए तािक वहां के लोगों को राहत और रोजगार मिल सके...(व्यवधान) यही मेरा आपके माध्यम से प्रश्न और अनुरोध है...(व्यवधान)

राव इंद्रजीत सिंह: महोदया, विशेष राज्य देने की नीति अब नहीं है...(व्यवधान) विशेष पैकेज देने की जहां तक बात है...(व्यवधान) तो राजस्थान सरकार अगर हमें लिखती है तो इस बारे में सोचा जा सकता है...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: I am again requesting you to go back. Today, there will be no adjournment. Please go back to your seats. Let the House continue its business.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: Q. 167 - Shri C. Mahendran – Not present.

Shri Muthamsetti Srinivasa Rao (Avanthi) – Not present.

Hon. Minister.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: Now, Q. No.168.

(Q.168)

डॉ. मनोज राजोरिया: अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, उसमें सर्वे के मुताबिक देश के 90 प्रतिशत लोग एलोपैथिक दवाइयां लेते हैं और सिर्फ 6 प्रतिशत लोग आयुष में आयुर्वेदिक, यूनानी, योगा और होम्योपैथिक का इलाज लेते हैं। आज हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरीके से देश ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया तथा इसे मान्यता दी और भारत का मान और सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाया,...(व्यवधान) उसके लिए मैं प्रधान मंत्री जी का पूरे देश की ओर से बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही मैं मंत्री जी का ध्यान इस चीज की ओर दिलाना चाहता हूं कि हमारे प्रधान मंत्री जी की ओर से जिस तरीके से आयुष और योग को पूरी दुनिया में मान्यता दिलाई है और इसे ऊंचाइयों पर पहुंचाया गया है,...(व्यवधान) मैं जानना चाहता हूं कि क्या आयुष मंत्रालय इस तरह की कोई योजना बना रहा है, जिसके माध्यम से देश में आयुष को बढ़ावा दिया जा सके?...(व्यवधान)

श्रीपाद येसो नाईक: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, उसके लिए मैं उन्हें बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने पूछा है कि कम से कम 90 फीसदी लोग एलोपैथी का उपयोग करते हैं और बाकी 10 परसैन्ट लोग हमारे इंडियन सिस्टम ऑफ मैडिसन का उपयोग कर रहे हैं।...(व्यवधान) मैं माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं कि आज आयुष एक मंत्रालय बना है, इससे पहले आयुष हैल्थ एंड फैमिली वैलफेयर का एक विभाग था और इसके प्रति लोगों में जो अवेयरनैस होनी चाहिए थी,...(व्यवधान) वह अवेयरनैस नहीं थी। आज इसके मंत्रालय बनने के बाद आयुष मेलों तथा बाकी योजनाओं से हमने आयुष के प्रति लोगों में अवेयरनैस बढ़ाई है। ...(व्यवधान) यह एक नया मंत्रालय बना है, इसीलिए कई चीजें हम आयुष को आगे ले जाने के लिए कर रहे हैं।...(व्यवधान) हमने बीते छह महीने में कम से कम नौ आयुष मेलों का आयोजन किया, उनसे लोगों में इसके प्रति जागृति पैदा हुई है।...(व्यवधान) हमारा यह प्रयास है कि जैसे माननीय प्रधान मंत्री के जिरये हमने एक योग दिवस मनाया है, उसी तरह से आयुष का जो प्रचार है, इसके प्रति लोगों में जो अवेयरनैस है और हमें इसकी जो सेवा लोगों को देनी है, यह सेवा देने के लिए आयुष अभी कार्यरत है। ...(व्यवधान) इसलिए आयुष मिशन हमने आज देश के सामने रखा है। इसमें आयुष की सेवाएं उपलब्ध करने की तरह-तरह की स्कीम्स हमने दी हैं। मैं माननीय सांसद को कहना चाहता हूं कि चाहे उनकी अपनी कांस्टीटुएंसी में हो या अपने राज्य में हो, जो स्कीम वह लाना चाहते हैं,...(व्यवधान)

आयुष मिशन के अंतर्गत आप हमें एप्लाई करें, आपके राज्य में तथा अन्य राज्यों में आयुष की सुविधा देने के लिए हम निश्चित तौर से मदद करेंगे।...(व्यवधान)

डॉ. मनोज राजोरिया: अध्यक्ष महोदय, यह बड़ी खुशी की बात है कि मंत्री जी ने आयुष विभाग में कार्य करते हुए जो अपनी अच्छी मंशा जताई है। वह आयुष के अंतर्गत आने वाले सिस्टम ऑफ मैडिसन को बढ़ावा देने के लिए आयुष मेलों का आयोजन कर रहे हैं।...(व्यवधान) लेकिन इसके साथ ही मंत्री जी ने मुझे जो डाटा दिया है, उस डाटा में भारी संख्या में सभी विभागों में वेकेन्सीज खाली पड़ी हैं। ...(व्यवधान) मंत्री जी ने मुझे जो डाटा दिया, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि जो वेकेन्सीज खाली पड़ी हुई हैं, विशेष तौर से रिसर्च के सैक्टर, मैडिकल ऑफिसर के सैक्टर, सब-ऑर्डिनेट स्टाफ के सैक्टर के साथ-साथ सभी विभागों में ऐसी बहुत सारी वेकेन्सीज हैं,...(व्यवधान) जिन्हें भरे जाने की तुरंत आवश्यकता है। क्योंकि इन्होंने जो डाटा दिया है, उसमें एक चीज सभी सिस्टम ऑफ मैडिसंस में है कि अर्बन एरियाज में लगभग 78 प्रतिशत लोग आज भी प्राइवेट चिकित्सकों और प्राइवेट हास्पिटल्स से इलाज करवा रहे हैं।...(व्यवधान) आज आयुष मंत्रालय के द्वारा देश की गरीब जनता और आम जनता तक यह सुविधा पहुंचाने के लिए मंत्रालय इन वेकेन्सीज को कितना जल्दी भरने की कोशिश कर रहा है और वह इन्हें किस प्रकार भरेगा, क्या मंत्री जी इसका जवाब देंगे?...(व्यवधान)

श्रीपाद येसो नाईक: महोदया, माननीय सांसद ने जो प्रश्न उठाया है, वह सही है, उसमें तथ्य है।...(व्यवधान) हमें यह समझना चाहिए कि आयुष में जो वेकेन्सीज हैं, वे चाहें सभी काउंसिल में हों या दूसरी सभी संस्थाओं में हों, वे अभी भी बाकी हैं। इनको भरने का प्रयास पिछले तीन महीनों से शुरू हुआ है। ...(व्यवधान) कई पोस्टों को भरने के लिए हमने पेपर्स में एडवर्टाइज़मेंट दिए हैं। ...(व्यवधान) इनके इंटरव्यू चालू हैं। ...(व्यवधान) में माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूँ पिछले कई सालों जो वैकेंसियां खाली हैं, उनको भरने का हमारा प्रयास चालू है और जल्दी से जल्दी हम इनको भरने की कोशिश करेंगे। ...(व्यवधान)

12.00 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

HON. SPEAKER: Now, the House will take up Item No. 2, Papers to be laid on the Table.

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI D.V. SADANANDA GOWDA): I beg to lay on the Table:--

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Institute of Constitutional and Parliamentary Studies, New Delhi, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.
- (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Institute of Constitutional and Parliamentary Studies, New Delhi, for the year 2013-2014.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 2750/16/15]

(3) A copy of the Supplementary Report No. 246 on Amendments to Arbitration and Conciliation Act, 1996 (Hindi and English versions) of the Law Commission of India regarding "Public Policy" Developments post-Report No. 246, February, 2015.

[Placed in Library, See No. LT 2751/16/15]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RAJIV PRATAP RUDY): On behalf of Shri Ramvilas Paswan, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Legal Metrology (Packaged Commodities) (Amendment) Rules, 2015 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.385(E) in Gazette of India dated 14th May, 2015 under sub-section (4) of Section 52 of the Legal Metrology Act, 2009.

[Placed in Library, See No. LT 2752/16/15]

(2) A copy of the Removal of (Licensing requirements, Stock limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs (Amendment) Order, 2015 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 1797(E) in Gazette of India dated 2nd July, 2015 under sub-section (6) of Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955.

[Placed in Library, See No. LT 2753/16/15]

(3) A copy of the Bureau of Indian Standards (Recruitment to Scientific Cadre) Amendment Regulations, 2015 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 306(E) in Gazette of India dated 21st April, 2015 under Section 39 of the Bureau of Indian Standards Act, 1986.

[Placed in Library, See No. LT 2754/16/15]

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGAT PRAKASH NADDA): I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, for the year 2013-2014.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 2755/16/15]

- (3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Medical Council of India, New Delhi, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Medical Council of India, New Delhi, for the year 2013-2014.
- (4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 2756/16/15]

(5) A copy of the Drugs and Cosmetics (Sixth Amendment) Rules, 2014 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 889(E) in Gazette of India dated 12th December, 2014 under Section 38 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940.

[Placed in Library, See No. LT 2757/16/15]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): महोदया, मैं संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अंतर्गत मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संघ सरकार (वाणिज्यिक) (2015 का संख्यांक 21) - अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियों (वोल्यूम I और वोल्यूम II) पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[Placed in Library, See No. LT 2758/16/15]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (RAO INDERJIT SINGH): I beg to lay on the Table a copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the Hindustan Aeronautics Limited and the Department of Defence Production, Ministry of Defence, for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 2759/16/15]

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): महोदया, मैं केंद्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

- केंद्रीय रेशम बोर्ड सिल्क-वार्म सीड (संशोधन) विनियम, 2015 जो 31 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 75 में प्रकाशित हुए थे।
- 2. केंद्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) नियम, 2015 जो 31 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 76 में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 2760/16/15]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): On behalf of Shri Piyush Goyal, I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 179 of the Electricity Act, 2003:-
- (i) The Central Electricity Regulatory Commission (Sharing of Inter State Transmission Charges and Losses) (Third Amendment) Regulations, 2015 published in Notification No. L-1/44/2010-CERC in Gazette of India dated 7th April, 2015.
- (ii) The Central Electricity Regulatory Commission (Open Access in inter-State Transmission) (Third Amendment) Regulations, 2015 published in Notification No. L-7/105(121)/2007-CERC in Gazette of India dated 15th May, 2015.
- (iii) The Central Electricity Regulatory Commission (Grant of Connectivity, Longterm Access and Medium-term Open Access in inter-State Transmission and related matters) (Fifth Amendment) Regulations, 2015 published in Notification No. L-1(3)/2009-CERC in Gazette of India dated 19th May, 2015.
- (iv) The Central Electricity Regulatory Commission (Grant of Regulatory Approval for execution of Inter-State Transmission Scheme to Central Transmission Utility) (First Amendment) Regulations, 2015 published in Notification No. L-1/41/2010-CERC in Gazette of India dated 19th May, 2015.
- **(2)** Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at item No. (i) of (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 2761/16/15]

(3) A copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the Rural Electrification Corporation Limited and the Ministry of Power for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 2762/16/15]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Tea (Marketing) Control (Amendment) Order, 2015 (Hindi and English versions) published in Notification No. S.O.1012(E) in Gazette of India dated 15th April, 2015 under Section 30 of the Tea Act, 1953 together with corrigendum thereto published in Notification No. S.O.1693(E) dated 25th June, 2015.

[Placed in Library, See No. LT 2763/16/15]

(2) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) issued under Section 5 of the Spices Board Act, 1986:-

- (i) Notification No. F. No. 5/7/2014-EP (Agri.V)/Plant D published in Gazette of India dated 8th June, 2015, constituting advisory committees, mentioned therein, of the Spices Board to be designated as Spice Development Agency for various spice growing regions of the country.
- (ii) Notification No. Admin-I/Estt/SPEDA/2014 published in weekly Gazette of India dated 18th April, 2015, constituting a committee to be known as the Saffron Production and Export Development Agency with the date of publication of the notification.
- (iii) Notification No. Admin-1/Estt/SPEDA/2014 published in weekly Gazette of India dated 8th June, 2015, making certain amendments in Notification No. Admin-1/Estt./SPEDA/2014 dated 18th April, 2015.

[Placed in Library, See No. LT 2764/16/15]

(3) A copy of Notification No. S.O.968 (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 8th April, 2015, operationalising the setting up of International Financial Services Centre in Special Economic Zones issued under sub-section (2) of Section 18 of the Special Economic Zones Act, 2005.

[Placed in Library, See No. LT 2765/16/15]

(4) A copy of Notification No. S.O.798(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 19th March, 2015, relaxing the operation of the provisions of Section 10(1) of the Tobacco Board Act, 1975 in the State of Karnataka issued under sub-section (1) of Section 30 of the said Act.

[Placed in Library, See No. LT 2766/16/15]

(5) A copy of Notification No. S.O. 3094(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 9th December, 2014, making certain amendments in Notification No. S.O. 1105(E) dated 11th October, 2004 issued under Section 18G of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951.

[Placed in Library, See No. LT 2767/16/15]

(6) A copy of Notification No. S.O.799(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 19th March, 2015, authorising the Tobacco Board to admit the traders/dealers of the Tobacco to purchase the excess unauthorised tobacco at the auction platforms by charging penalties as fixed by Government of Karnataka issued under Section 20A of the Tobacco Board Act, 1975.

[Placed in Library, See No. LT 2768/16/15]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हिरभाई चौधरी): महोदया, मैं दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 148 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

- दिल्ली पुलिस (पदोन्नित और पुष्टीकरण) (संशोधन) नियम, 2015 जो 16 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. 16/5/2014/एचपी-1/स्था./248 से 250 में प्रकाशित हुए थे।
- 2. दिल्ली पुलिस (भर्ती और नियुक्ति) (संशोधन) नियम, 2015 जो 16 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.16/6/2014/एचपी-1/स्था./251 से 253 में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 2769/16/15]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरिया): महोदया, मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अंतर्गत निम्निलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

- 1. उर्वरक (नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 2015 जो 16 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1317 (अ) में प्रकाशित हुए थे।
- 2. का.आ. 1562 (अ) जो 13 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 26 जून, 1995 की अधिसूचना संख्या का.आ. 572 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
 [Placed in Library, See No. LT 2770/16/15]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RAJIV PRATAP RUDY): On behalf of Shri Hansraj Gangaram Ahir, I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under subsection (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956:-
- (i) Review by the Government of the working of the Rajasthan Drugs and Pharmaceuticals Limited, Jaipur, for the year 2013-2014.
- (ii) Annual Report of the Rajasthan Drugs and Pharmaceuticals Limited, Jaipur, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 2771/16/15]

- (3) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-
- (i) Memorandum of Understanding between the Rajasthan Drugs and Pharmaceuticals Limited and the Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals and Fertilizers, for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 2772/16/15]

(ii) Memorandum of Understanding between the Indian Drugs and Pharmaceuticals Limited and the Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals and Fertilizers, for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 2773/16/15]

(iii) Memorandum of Understanding between the National Fertilizers Limited and the Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals and Fertilizers, for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 2774/16/15]

(iv) Memorandum of Understanding between the Madras Fertilizer Limited and the Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals and Fertilizers, for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 2775/16/15]

(v) Memorandum of Understanding between the FCI Aravali Gypsum and Minerals India Limited and the Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals and Fertilizers, for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 2776/16/15]

(vi) Memorandum of Understanding between the Projects and Development India Limited and the Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals and Fertilizers, for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 2777/16/15]

(vii) Memorandum of Understanding between the Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited and the Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals and Fertilizers, for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 2778/16/15]

(viii) Memorandum of Understanding between the Rashtriya Chemicals Fertilizers Limited and the Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals and Fertilizers, for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 2779/16/15]

(ix) Memorandum of Understanding between the Fertilizer and Chemicals Travancore Limited and the Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals and Fertilizers, for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 2780/16/15]

(x) Memorandum of Understanding between the Hindustan Antibiotics Limited and the Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals and Fertilizers, for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 2781/16/15]

(4) A copy of Notification No. S.O. 1233(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 8th May, 2015, making certain amendments in the Drugs (Price Control) Order, 2013 under sub-section (6) of Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955.

[Placed in Library, See No. LT 2782/16/15] THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI G.M. SIDDESHWARA): I beg to lay on the Table a copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the BHEL Electrical Machines Limited and the Bharat Heavy Electricals Limited for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 2783/16/15]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JAYANT SINHA): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Securities and Exchange Board of India, Mumbai, for the year 2013-2014, together with Audit Report thereon.

[Placed in Library, See No. LT 2784/16/15]

(2) A copy of the Annual Reports (Hindi and English versions) on the working and activities of the State Bank of India, State Bank of Patiala, State Bank of Mysore, State Bank of Travancore and State Bank of Bikaner & Jaipur, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts under sub-section (4) of Section 40 of the State Bank of India Act, 1955 as amended by Banking Laws (Amendment) Act, 1985 and sub-section (3) of Section 43 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 as amended by Banking Laws (Amendment) Act, 1985.

[Placed in Library, See No. LT 2785/16/15]

- (3) A copy each of the following Annual Reports (Hindi and English versions) under sub-section (8) of Section 10 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and 1980:-
- (i) Report on the working and activities of the Allahabad Bank for the year 2014-2015, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.

[Placed in Library, See No. LT 2786/16/15]

(ii) Report on the working and activities of the Bank of Maharashtra for the year 2014-2015, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.

[Placed in Library, See No. LT 2787/16/15]

(iii) Report on the working and activities of the Central Bank of India for the year 2014-2015, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.

[Placed in Library, See No. LT 2788/16/15]

(iv) Report on the working and activities of the Dena Bank for the year 2014-2015, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.

[Placed in Library, See No. LT 2789/16/15]

(v) Report on the working and activities of the Indian Overseas Bank for the year 2014-2015, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.

[Placed in Library, See No. LT 2790/16/15]

(vi) Report on the working and activities of the Punjab National Bank for the year 2014-2015, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.

[Placed in Library, See No. LT 2791/16/15]

(vii) Report on the working and activities of the Union Bank of India for the year 2014-2015, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.

[Placed in Library, See No. LT 2792/16/15]

(viii) Report on the working and activities of the UCO Bank for the year 2014-2015, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.

[Placed in Library, See No. LT 2793/16/15]

(ix) Report on the working and activities of the Bank of Baroda for the year 2014-2015, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.

[Placed in Library, See No. LT 2794/16/15]

(x) Report on the working and activities of the Canara Bank for the year 2014-2015, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.

[Placed in Library, See No. LT 2795/16/15]

(xi) Report on the working and activities of the Corporation Bank of India for the year 2014-2015, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.

[Placed in Library, See No. LT 2796/16/15]

(xii) Report on the working and activities of the Indian Bank for the year 2014-2015, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.

[Placed in Library, See No. LT 2797/16/15]

(xiii) Report on the working and activities of the Oriental Bank of Commerce for the year 2014-2015, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.

[Placed in Library, See No. LT 2798/16/15]

(xiv) Report on the working and activities of the Syndicate Bank for the year 2014-2015, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.

[Placed in Library, See No. LT 2799/16/15]

(xv) Report on the working and activities of the United Bank of India for the year 2014-2015, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.

[Placed in Library, See No. LT 2800/16/15]

(xvi) Report on the working and activities of the Vijaya Bank for the year 2014-2015, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.

[Placed in Library, See No. LT 2801/16/15]

(xvii) Report on the working and activities of the Andhra Bank for the year 2014-2015, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.

[Placed in Library, See No. LT 2802/16/15]

(xviii) Report on the working and activities of the Bank of India for the year 2014-2015, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.

[Placed in Library, See No. LT 2803/16/15]

(xix) Report on the working and activities of the Punjab and Sind Bank for the year 2014-2015, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.

[Placed in Library, See No. LT 2804/16/15]

(4) A copy of the Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2015 (Hindi and English versions) published in Notification No. LAD-NRO/GN/2014-15/22/366 in Gazette of India dated 26th February, 2015 under Section 31 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992.

[Placed in Library, See No. LT 2805/16/15]

- (5) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 27 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999:-
- (i) The Insurance Regulatory and Development Authority of India (Micro Insurance) Regulations, 2015 published in Notification No. F. No. IRDA/Reg./2/92/2015 in Gazette of India dated 17th March, 2015, together with a corrigendum thereto published in Notification No. IRDA/Reg/6/96/2015 dated 22nd May, 2015.

[Placed in Library, See No. LT 2806/16/15]

(ii) The Insurance Regulatory and Development Authority of India (Transfer of Equity Shares of Insurance Companies) Regulations, 2015 published in Notification No. F. No. IRDA/Reg/3/93/2015 in Gazette of India dated 23rd April, 2015.

[Placed in Library, See No. LT 2807/16/15]

(iii) The Insurance Regulatory and Development Authority of India (Obligation of Insurer in respect of Motor Third Party Insurance Business) Regulations, 2015 published in Notification No. F. No. IRDA/Reg/8/98/2015 in Gazette of India dated 5th June, 2015.

[Placed in Library, See No. LT 2808/16/15]

31.07.2015 42

(iv) Notification No. F. No. IRDA/IAC/7/97/2015 in Gazette of India dated 27th May, 2015 reconstituting the Insurance Advisory Committee with effect from the date of notification viz. 25th May, 2015.

[Placed in Library, See No. LT 2809/16/15]

- (v) The Insurance Regulatory and Development Authority of India (Fee for Registering Cancellation or Change of Nomination) Regulations, 2015 published in Notification No. F. No. IRDA/Reg/4/94/2015 in Gazette of India dated 29th April, 2015.
- (vi) The Insurance Regulatory and Development Authority of India (Fee for granting written acknowledgement of the receipt of Notice of Assignment or Transfer) Regulations, 2015 published in Notification No. F. No. IRDA/Reg/5/95/2015 in Gazette of India dated 29th April, 2015.

[Placed in Library, See No. LT 2810/16/15]

- (6) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 114 of the Insurance Act, 1938:-
- (i) S.O.870(E) published in Gazette of India dated 27th March, 2015 regarding exemption of certain provisions of Insurance Act, 1938 for carrying Insurance Business in SEZ.
- (ii) The Insurance Regulatory and Development Authority of India (Regulation of Insurance Business in Special Economic Zone) Rules, 2015 published in Notification No. G.S.R. 230(E) in Gazette of India dated 27th March, 2015.
- (iii) The Indian Insurance Companies (Foreign Investment) Amendment) Rules, 2015 published in Notification No. G.S.R. 534(E) in Gazette of India dated 3rd July, 2015.

[Placed in Library, See No. LT 2811/16/15]

- (7) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 53 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013:-
- (i) The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Aggregator) Regulations, 2015 published in Notification No. PFRDA/12/RGL/139/4 in Gazette of India dated 10th March, 2015.

[Placed in Library, See No. LT 2812/16/15]

(ii) The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Pension Fund) Regulations, 2015 published in Notification No. PFRDA/12/RGL/139/9 in Gazette of India dated 19th May, 2015.

[Placed in Library, See No. LT 2813/16/15]

- (iii) The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under the National Pension System) Regulations, 2015 published in Notification No. PFRDA/12/RGL/139/8 in Gazette of India dated 11th May, 2015. [Placed in Library, See No. LT 2814/16/15]
- (iv) The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Point of Presence) Regulations, 2015 published in Notification No. PFRDA/12/RGL/139/3 in Gazette of India dated 4th March, 2015.

[Placed in Library, See No. LT 2815/16/15]

(v) The Pension Fund Regulatory and Development Authority (National Pension System Trust) Regulations, 2015 published in Notification No. PFRDA/12/RGL/139/5 in Gazette of India dated 12th March, 2015.

[Placed in Library, See No. LT 2816/16/15]

(vi) The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Trustee Bank) Regulations, 2015 published in Notification No. PFRDA/12/RGL/139/6 in Gazette of India dated 23rd March, 2015.

[Placed in Library, See No. LT 2817/16/15]

(vii) The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Central Recordkeeping Agency) Regulations, 2015 published in Notification No. PFRDA/12/RGL/139/7 in Gazette of India dated 27th April, 2015.

[Placed in Library, See No. LT 2818/16/15]

(viii) The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Custodian of Securities) Regulations, 2015 published in Notification No. PFRDA/12/RGL/139/10 in Gazette of India dated 14th May, 2015.

[Placed in Library, See No. LT 2819/16/15]

(ix) The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Employees' Service) Regulations, 2014 published in Notification No. PFRDA/12/RGL/139/11 in Gazette of India dated 14th May, 2015.

[Placed in Library, See No. LT 2820/16/15]

(8) A copy of the Statement (Hindi and English versions) on Quarterly Review of the trends in receipts and expenditure in relation to the Budget at the end of financial year 2014-2015 under sub-section (1) of Section (7) of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2003.

[Placed in Library, See No. LT 2820/16/15]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING (SHRI PON RADHAKRISHNAN): I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 37 of the National Highways Authority of India Act, 1988:-
- (i) The National Highways Authority of India (the term of office and other conditions of service of Members) Second Amendment Rules, 2015 published in Notification No. G.S.R.380(E) in Gazette of India dated 13th May, 2015.
- (ii) The National Highways Authority of India (the term of office and other conditions of service of Members) Third Amendment Rules, 2015 published in Notification No. G.S.R.448(E) in Gazette of India dated 2nd June, 2015.

[Placed in Library, See No. LT 2821/16/15]

- (2) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-
- (i) Memorandum of Understanding between the Shipping Corporation of India Limited and the Ministry of Shipping for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 2822/16/15]

(ii) Memorandum of Understanding between the Dredging Corporation of India Limited and the Ministry of Shipping for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 2823/16/15]

(iii) Memorandum of Understanding between the Cochin Shipyard Limited and the Ministry of Shipping for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 2824/16/15]

- (3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 10 of the National Highways Act, 1956:-
- (i) S.O. 2585(E) published in Gazette of India dated 7th October, 2014, authorising the Sub Divisional Officer (Civil) Nalagarh District Solan, as the competent authority to acquire land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 21A (New NH 105) in the State of Himachal Pradesh.
- (ii) S.O. 2586(E) published in Gazette of India dated 7th October, 2014, authorising the District Revenue Officer, Panchkula, as the competent authority to

31.07.2015 45

acquire land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 21A (New NH 105) in the State of Himachal Pradesh.

- (iii) S.O. 179(E) published in Gazette of India dated 19th January, 2015, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 22 (New NH 5) (Deorighat-Premghat Section) in the State of Himachal Pradesh.
- (iv) S.O. 622(E) published in Gazette of India dated 27th February, 2015, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 82 (Gaya-Hisua-Rajgir-Biharsharif Section) in the State of Bihar.
- (v) S.O. 1629(E) published in Gazette of India dated 17th June, 2015, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 82 (Gaya-Hisua-Rajgir-Biharsharif Section) in the State of Bihar.
- (vi) S.O. 1216(E) published in Gazette of India dated 7th May, 2014, making certain amendments in the Notification No. S.O. 1231(E) dated 16th May, 2013.
- (vii) S.O. 1217(E) published in Gazette of India dated 7th May, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 2 (Barwa Adda to Barakar Section) in the State of Jharkhand.
- (viii) S.O. 335(E) published in Gazette of India dated 5th February, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 75 (Ranchi-Nagar Untari Section) in the State of Jharkhand.
- (ix) S.O. 1263(E) published in Gazette of India dated 13th May, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 31D in the State of West Bengal.
- (x) S.O. 1264(E) published in Gazette of India dated 13th May, 2014, authorising the District Land Acquisition Officer, Ramgarh, as the competent authority to acquire land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 23 in the State of Jharkhand.
- (xi) S.O. 688(E) published in Gazette of India dated 9th March, 2015, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway Nos. 327B, 31, 31C and 10 in the State of West Bengal.

31.07.2015 46

(xii) S.O. 579(E) published in Gazette of India dated 20th February, 2015, making certain amendments in the Notification No. S.O. 475(E) dated 24th February, 2010.

- (xiii) S.O. 427(E) published in Gazette of India dated 10th February, 2015, making certain amendments in the Notification No. S.O. 475(E) dated 24th February, 2010.
- (xiv) S.O. 1583(E) published in Gazette of India dated 24th June, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 102 (Chhapra-Rewaghat-Muzaffarpur Section) in the State of Bihar.
- (xv) S.O. 446(E) published in Gazette of India dated 18th February, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 2 (Aurangabad to Barwa-Adda Section) in the State of Jharkhand.
- (xvi) S.O. 584(E) published in Gazette of India dated 20th February, 2015, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 33 (Ranchi-Rargaon Section) in the State of Jharkhand.
- (xvii) S.O. 730(E) published in Gazette of India dated 10th March, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 2 (Aurangabad to Barwa-Adda Section) in the State of Jharkhand.
- (xviii) S.O. 2289(E) published in Gazette of India dated 9th September, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 200 (New NH 49) (Bilaspur-Urdawal Section) in the State of Chhattisgarh.
- (xix) S.O. 290(E) published in Gazette of India dated 30th January, 2015, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 365 (Thanamcherla to Jamandlapally Section) in the State of Telangana.
- (xx) S.O. 551(E) and S.O. 552(E) published in Gazette of India dated 17th February, 2015, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of different stretches of National Highway No. 233 (Indo Nepal Border to Varanasi) in the State of Uttar Pradesh.

(xxi) S.O. 568(E) to S.O. 572(E) published in Gazette of India dated 19th February, 2015, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of different stretches of National Highway No. 78 (New NH 43) (Ambikapur-Patthalgaon Section) in the State of Chhattisgarh.

- (xxii) S.O. 586(E) to S.O. 589(E) published in Gazette of India dated 20th February, 2015, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of different stretches of National Highway No. 78 (Katni-Shahdol-Anuppur to MP/CG Border Section) in the State of Madhya Pradesh.
- (xxiii) S.O. 592(E) to S.O. 594(E) published in Gazette of India dated 20th February, 2015, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of different stretches of National Highway No. 43 (New NH 30) (Dhamtari-Jagdalpur Section) in the State of Chhattisgarh.
- (xxiv) S.O. 612(E) published in Gazette of India dated 25th February, 2015, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 12A (New NH 30) (MP Border Chipli to Simga Section) in the State of Chhattisgarh.
- (xxv) S.O. 624(E) published in Gazette of India dated 27th February, 2015, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 65 (Nagaur-Jodhpur Section) in the State of Rajasthan.
- (xxvi) S.O. 639(E) published in Gazette of India dated 3rd March, 2015, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 149 (Pallahara-Pitiri Section) in the State of Odisha.
- (xxvii) S.O. 634(E) to S.O. 636(E) published in Gazette of India dated 3rd March, 2015, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of different stretches of National Highway No. 12A (New NH 30) (MP Border Chilpi to Simga Section) in the State of Chhattisgarh.
- (xxviii) S.O. 638(E) published in Gazette of India dated 3rd March, 2015, making certain amendments in the Notification No. S.O. 41(E) dated 7th January, 2014.
- (xxix) S.O. 684(E) published in Gazette of India dated 9th March, 2015, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 8 (Beawar-Baghana Section) in the State of Rajasthan.

(xxx) S.O. 685(E) published in Gazette of India dated 9th March, 2015, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 63 (Anantapur District Section) in the State of Andhra Pradesh.

- (xxxi) S.O. 683(E) published in Gazette of India dated 9th March, 2015, making certain amendments in the Notification No. S.O. 3315(E) dated 31st October, 2013 and Notification No. S.O. 461(E) dated 18th February, 2014.
- (xxxii) S.O. 716(E) published in Gazette of India dated 10th March, 2015, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 216 (New NH 153) (Raigarh-Sarangarh-Saraipali Section) in the State of Chhattisgarh.
- (xxxiii) S.O. 717(E) and S.O. 718(E) published in Gazette of India dated 10th March, 2015, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of different stretches of National Highway No. 12A (Jabalpur-Mandla-Chilpi Section) in the State of Madhya Pradesh.
- (xxxiv) S.O. 767(E) published in Gazette of India dated 16th March, 2015, making certain amendments in the Notification No. S.O. 2307(E) dated 29th July, 2013.
- (xxxv) S.O. 781(E) published in Gazette of India dated 18th March, 2015, making certain amendments in the Notification No. S.O. 1573(E) dated 19th June, 2014.
- (xxxvi) S.O. 780(E) published in Gazette of India dated 18th March, 2015, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 214 (New NH 214A) in the State of Andhra Pradesh.
- (xxxvii) S.O. 806(E) published in Gazette of India dated 20th March, 2015, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 233 (Indo Nepal Border to Varanasi) in the State of Uttar Pradesh.
- (xxxviii) S.O. 857(E) published in Gazette of India dated 26th March, 2015, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 200 (Old) (Kanaktora-Jharsuguda Section) in the State of Orissa.
- (xxxix) S.O. 875(E) and S.O. 876(E) published in Gazette of India dated 20th February, 2015, regarding acquisition of land for building, maintenance,

management and operation of different stretches of National Highway No. 12A (New NH 30) (MP Border Chilpi to Simga Section) in the State of Chhattisgarh.

- (xl) S.O. 932(E) and S.O. 933(E) published in Gazette of India dated 6th April, 2015, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of different stretches of National Highway No. 365 (Mangalvaripet to Mallampally-Tanamcherla Section) in the State of Telangana.
- (xli) S.O. 931(E) published in Gazette of India dated 6th April, 2015, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 4 (Tamilnadu/Andhra Pradesh Border-Chittoor to Andhra Pradesh/Karnataka Border Section) in the State of Andhra Pradesh.
- (xlii) S.O. 1010(E) and S.O. 1011(E) published in Gazette of India dated 15th April, 2015, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of different stretches of National Highway No. 111 (New NH 130)(Bilaspur-Ambikapur Section) in the State of Chhattisgarh.
- (xliii) S.O. 1078(E) published in Gazette of India dated 24th April, 2015, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 31 in the State of West Bengal.
- (xliv) S.O. 1079(E) to S.O. 1081(E) published in Gazette of India dated 24th April, 2015, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of different stretches of National Highway No. 28C (New NH 927)(Barabanki-Bahraich-Rupaidiha Section) in the State of Uttar Pradesh.
- (xlv) S.O. 1077(E) published in Gazette of India dated 24th April, 2015, making certain amendments in the Notification No. S.O. 243(E) dated 24th January, 2014.
- (xlvi) S.O. 1083(E) to S.O. 1085(E) published in Gazette of India dated 27th April, 2015, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of different stretches of National Highway No. 222 (Kalyan-Andhra Pradesh Border Section) in the State of Maharashtra.
- (xlvii) S.O. 1104(E) published in Gazette of India dated 28th April, 2015, making certain amendments in the Notification No. S.O. 1573(E) dated 19th June, 2014.
- (xlviii) S.O. 1106(E) published in Gazette of India dated 28th April, 2015, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 233 (Indo Nepal Border to Varanasi) in the State of Uttar Pradesh.

(xlix) S.O. 1105(E) published in Gazette of India dated 28th April, 2015, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of Northern Kota Bypass in the State of Rajasthan.

- (l) S.O. 1133(E) published in Gazette of India dated 24th April, 2015, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 78 (New NH 43) (Pathalgaon to CG/JH Border Section) in the State of Chhattisgarh.
- (li) S.O. 1153(E) published in Gazette of India dated 1st May, 2015, authorising the Special Land Acquisition Officer, as the competent authority to acquire land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 206 in the State of Karnataka.
- (lii) S.O. 1163(E) published in Gazette of India dated 1st May, 2015, authorising the Officers, mentioned therein, as the competent authority to acquire land for building, maintenance, management and operation from National Highway No. 29E to National Highway No. 28 (Gorakhpur bypass) in the State of Uttar Pradesh.
- (liii) S.O. 1151(E) published in Gazette of India dated 1st May, 2015, making certain amendments in the Notification No. S.O. 1162(E) dated 29th April, 2014.
- (liv) S.O. 1152(E) published in Gazette of India dated 1st May, 2015, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 565 (Vaggampalli to Dornala 'T' Junction) in the State of Andhra Pradesh.
- (lv) S.O. 1154(E) published in Gazette of India dated 1st May, 2015, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 765 (Hyderabad-Dindi) in the State of Telangana.
- (lvi) S.O. 1180(E) published in Gazette of India dated 5th May, 2015, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 12A (New NH 30) (MP Border Chilpi-Simga Section) in the State of Chhattisgarh.
- (lvii) S.O. 1282(E) published in Gazette of India dated 14th May, 2015, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 8 (Beawar to Baghana Section) in the State of Rajasthan.
- (lviii) S.O. 1386(E) published in Gazette of India dated 22nd May, 2015, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and

operation of National Highway No. 221 (Vijayawada-Bhadrachalam Section) in the State of Andhra Pradesh.

- (lix) S.O. 1402(E) published in Gazette of India dated 26th May, 2015, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 565 (Penchalakona to Erpedu Section) in the State of Andhra Pradesh.
- (lx) S.O. 1403(E) published in Gazette of India dated 26th May, 2015, making certain amendments in the Notification No. S.O. 1141(E) dated 22nd April, 2014.
- (lxi) S.O. 1418(E) published in Gazette of India dated 28th May, 2015, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 216 (New NH 153) (Raigarh, Sarangarh, Saraipali Section) in the State of Chhattisgarh.
- (lxii) S.O. 689(E) published in Gazette of India dated 9th March, 2015, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 10 in the State of West Bengal.
- (lxiii) S.O. 3248(E) published in Gazette of India dated 22nd December, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 82 (Gaya-Hisua-Rajgir-Biharsharif Section) in the State of Bihar.
- (lxiv) S.O. 516(E) published in Gazette of India dated 16th February, 2015, authorising the Officers, mentioned therein, as the competent authority to acquire land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 333B in the State of Bihar.
- (lxv) S.O. 737(E) published in Gazette of India dated 12th March, 2015, authorising the Officers, mentioned therein, as the competent authority to acquire land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 102 in the State of Bihar.
- (lxvi) S.O. 233(E) published in Gazette of India dated 23rd January, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 33 (Mahulia to Bharagora Section) and National Highway No. 6 (Bharagora to Chichira Section) in the State of Jharkhand.
- (lxvii) S.O. 812(E) published in Gazette of India dated 15th March, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and

operation of National Highway No. 23 (ITI More Chas to Chargi Section) in the State of Jharkhand.

- (lxviii) S.O. 451(E) published in Gazette of India dated 18th February, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 75 (Ranchi-Nagar Untari Section) in the State of Jharkhand.
- (lxix) S.O. 798(E) published in Gazette of India dated 15th March, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 2 (Barwa Adda to Barakar Section) in the State of Jharkhand.
- (lxx) S.O. 444(E) published in Gazette of India dated 18th February, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 2 (Aurangabad to Barwa-Adda Section) in the State of Jharkhand.
- (lxxi) S.O. 846(E) published in Gazette of India dated 20th March, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 75 (Ranchi- Nagar Untari Section) in the State of Jharkhand.
- (lxxii) S.O. 400(E) published in Gazette of India dated 6th February, 2015, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 23 (Chas-Bokaro-Gola-Ramgarh Section) in the State of Jharkhand.
- (lxxiii) S.O. 731(E) published in Gazette of India dated 10th March, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 2 (Aurangabad to Barwa-Adda Section) in the State of Jharkhand.
- (lxxiv) S.O. 399(E) published in Gazette of India dated 6th February, 2015, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 34 (Berhampore Farakka Section) in the State of West Bengal.
- (lxxv) S.O. 988(E) published in Gazette of India dated 10th April, 2015, regarding rates of fees to be recovered from the users of National Highway No. 65 (Haryana/Rajasthan Border to Salasar Section) in the State of Rajasthan.

(lxxvi) S.O. 1097(E) published in Gazette of India dated 27th April, 2015, regarding rates of fees to be recovered from the users of National Highway No. 200 (Raipur-Bilaspur Section) in the State of Chhattisgarh.

- (lxxvii) S.O. 1098(E) published in Gazette of India dated 27th April, 2015, regarding rates of fees to be recovered from the users of National Highway No. 66 (Edapally-Vytilla-Aroor Section) in the State of Kerala.
- (lxxviii) S.O. 1219(E) published in Gazette of India dated 7th May, 2015, making certain amendments in the Notification No. S.O. 334(E) dated 7th February, 2013.
- (lxxix) S.O. 1335(E) published in Gazette of India dated 19th May, 2015, regarding rates of fees to be recovered from the users of National Highway No. 4 (Bangalore-Karnataka/Maharashtra Border Section) in the State of Karnataka.
- (lxxx) S.O. 1336(E) published in Gazette of India dated 19th May, 2015, regarding rates of fees to be recovered from the users of National Highway No. 67 in the State of Tamil Nadu.
- (lxxxi) S.O. 1384(E) published in Gazette of India dated 22nd May, 2015, regarding rates of fees to be recovered from the users of National Highway No. 47C in the State of Kerala.
- (lxxxii) S.O. 1422(E) published in Gazette of India dated 29th May, 2015, making certain amendments in the Notification No. S.O. 2519(E) dated 25th September, 2014.
- (lxxxiii) S.O. 1786(E) published in Gazette of India dated 1st July, 2015, making certain amendments in the Notification No. S.O. 1081(E) dated 30th April, 2013.
- (lxxxiv) S.O. 1787(E) published in Gazette of India dated 1st July, 2015, regarding rates of fees to be recovered from the users of National Highway No. 50 (Khed-Sinnar Section) in the State of Maharashtra.
- (lxxxv) S.O. 1788(E) published in Gazette of India dated 1st July, 2015, making certain amendments in the Notification No. S.O. 912(E) dated 21st April, 2010.
- (lxxxvi) S.O. 1789(E) published in Gazette of India dated 1st July, 2015, making certain amendments in the Notification No. S.O. 2405(E) dated 18th September, 2009.
- (lxxxvii) S.O. 1321(E) published in Gazette of India dated 18th May, 2015, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and

operation of National Highway No. 365 (Tanamcherla-Mallapally Section) in the State of Telangana.

- (lxxxviii) S.O. 1175(E) published in Gazette of India dated 30th April, 2014, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 32 (Rajabhita urf Rajganj to Lohpitti Section) in the State of Jharkhand.
- (4) Three statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at item No. (iv) to (lxxiv) of (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 2825/16/15]

(5) A copy of the Notification No. G.S.R. 23(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 12th January, 2015 containing corrigendum to the Kolkata Port Trust Employees' (Recruitment, Seniority, Promotion) Regulations, 2013 under Section 124 of the Major Port Trusts Act, 1968.

[Placed in Library, See No. LT 2826/16/15]

- (6) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Highways Authority of India, New Delhi, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Highways Authority of India, New Delhi, for the year 2013-2014.
- (7) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (6) above.

[Placed in Library, See No. LT 2827/16/15]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU): I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under subsection (2) of Section 20 of the Protection of Human Rights Act, 1993:-
- (i) Annual Report of the National Human Rights Commission, India, New Delhi, for the year 2011-2012.

[Placed in Library, See No. LT 2828/16/15]

(ii) Memorandum of Action Taken on the recommendations contained in the Annual Report of the National Human Rights Commission, India, New Delhi, for the year 2011-2012.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 2829/16/15]

- (3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 155 of the Sashastra Seema Bal Act, 2007:-
- (i) The Sashastra Seema Bal, Combatised Constable (Driver) Group 'C' Post, Recruitment (Amendment) Rules, 2015 published in Notification No. G.S.R. 70 in Gazette of India dated 11th April, 2015.
- (ii) The Sashastra Seema Bal Judge Attorney General (Deputy Inspector General), Additional Judge Attorney General (Commandant), Deputy Judge Attorney General (Deputy Commandant) and Judge Attorney (Assistant Commandant) Recruitment (Amendment Rules, 2015 published in Notification No. G.S.R. 452(E) in Gazette of India dated 4th June, 2015.

[Placed in Library, See No. LT 2830/16/15]

(4) A copy of the Border Security Force, Group 'A' (General Duty Officers) Recruitment Rules, 2015 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 408(E) in Gazette of India dated 20th May, 2015 under sub-section (3) of Section 141 of the Border Security Force Act, 1968.

[Placed in Library, See No. LT 2831/16/15]

(5) A copy of the Indo-Tibetan Border Police Force, General Duty Cadre (Group 'A' Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2015 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 379(E) in Gazette of India dated 13th May, 2015 under sub-section (3) of Section 156 of the Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992.

[Placed in Library, See No. LT 2832/16/15]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णपाल गूर्जर): महोदया मैं, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

- (एक) मनोविकास केंद्र रिहैबिलिटेशन एण्ड रिसर्च इंस्टिट्यूट फॉर दि हैंडीकैप्ड,
 कोलकाता के वर्ष 2012-13 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) मनोविकास केंद्र रिहैबिलिटेशन एण्ड रिसर्च इंस्टिट्यूट फॉर दि हैंडीकैप्ड, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- 2. उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2833/16/15]

- 3. (एक) नीलाचल सेवा प्रतिष्ठान, पुरी के वर्ष 2012-13 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) नीलाचल सेवा प्रतिष्ठान, पुरी के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- 4. उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने मे हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2834/16/15]

- 5. (एक) रामकृष्ण मिशन ब्लाइंड बॉयज़ एकेडमी, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) रामकृष्ण मिशन ब्लाइंड बॉयज़ एकेडमी, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- 6. उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने मे हुए विलम्ब कि कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2835/16/15]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरिया): महोदया, डॉ. संजीव बालियान की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड और कृषि मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2836/16/15]

- (2) पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 97 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-
 - (एक) पौधा किरम और कृषक अधिकार संरक्षण (संशोधन) नियम, 2015, जो 16 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा0का0नि0 494(अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (दो) पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण (जीन निधि से मान्यता और पुरस्कार) (संशोधन) नियम, 2015, जो 16 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा0का0नि0 495(अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (तीन) पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण (संशोधन) नियम, 2015, जो 16 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 496 (अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (चार) पौधा किरम और कृषक अधिकार संरक्षण स्कीम, 2015, जो 16 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा0का0नि0 497 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 2837/16/15]

(3) नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम, 1914 की धारा 4(घ) के अंतर्गत पादप संघरोध (भारत में आयात का विनियमन) (पहला संशोधन) आदेश, 2015, जो 27 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का0आ01413(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2838/16/15]

- (4) (एक) वेटरीनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) वेटरीनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2839/16/15]

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदर्शन भगत) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1)(एक) नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स प्रोमोशन सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
 - (दो) नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स प्रोमोशन सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
 - (तीन) नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स प्रोमोशन सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2840/16/15]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JAYANT SINHA): Madam, on behalf of my colleague Col. Rajyavardhan Singh Rathore, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the Broadcast Engineering Consultants India Limited and the Ministry of Information and Broadcasting for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 2841/16/15]

- (2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Prasar Bharati, New Delhi, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Prasar Bharati, New Delhi, for the year 2013-2014.
- (3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 2842/16/15]

(4) A copy each of the Notification No. S.O. 1388(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 25th May, 2015, making certain amendments in Notification No. S.O. 2693(E) dated 5th September, 2013 under sub-section (1) of Section 8 of the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995.

[Placed in Library, See No. LT 2843/16/15]

- (5) A copy each of the Cable Television Networks (Amendment) Rules, 2015 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 216(E) in Gazette of India dated 23rd March, 2015 under sub-section (3) of Section 22 of the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995
 - (6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

[Placed in Library, See No. LT 2844/16/15]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय सांपला): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-
- (एक) (क) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 और 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन।

[Placed in Library, See No. LT 2845/16/15]

(ख) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 और 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन।

[Placed in Library, See No. LT 2846/16/15]

(ग) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, नई दिल्ली का मई, 2009 से दिसम्बर, 2009 का वार्षिक प्रतिवेदन।

[Placed in Library, See No. LT 2847/16/15]

(घ) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, नई दिल्ली का वर्ष, 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन। [Placed in Library, See No. LT 2848/16/15]

- (ड.) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, नई दिल्ली का वर्ष, 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन।

 [Placed in Library, See No. LT 2849/16/15]
- (च) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, नई दिल्ली का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन।

[Placed in Library, See No. LT 2850/16/15]

(छ) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, नई दिल्ली का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन।

[Placed in Library, See No. LT 2851/16/15]

- (दो) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 से 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समेकित समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2852/16/15]

- (3) संविधान के अनुच्छेद 338क के खण्ड (6) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-
 - (एक) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति।
 - (दो) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन पर व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2853/16/15]

12.06 hrs

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS'BILLS AND RESOLUTIONS 13th Report

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): I beg to present the Thirteenth Report (Hindi and English versions) of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions.

12.06 ½ hrs

JOINT COMMITTEE ON OFFICES OF PROFIT 2nd Report

SHRI P.P. CHAUDHARY (PALI): I beg to present the Second Report (Hindi and English versions) of the Joint Committee on Offices of Profit.

12.06 ½ hrs

STANDING COMMITTEE ON FINANCE 15th to 18th Reports

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): महोदया, मैं वित्त संबंधी स्थायी समिति (2014-15) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूँ:-

- (1) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य, व्यय, वित्तीय सेवाएं और विनिवेश विभाग) की अनुदानों की मांगों (2014-2015) के बारे में वित्त संबंधी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 15वां प्रतिवेदन।
- (2) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अनुदानों की मांगों (2014-2015) के बारे में वित्त संबंधी समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 16वां प्रतिवेदन।
- (3) कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2014-2015) के बारे में वित्त संबंधी समिति के पांचवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 17वां प्रतिवेदन।
- (4) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2014-2015) के बारे में वित्त संबंधी समिति के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 18वां प्रतिवेदन।

12.07 hrs

STANDING COMMITTEE ON URBAN DEVELOPMENT (i) 7th Report

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): महोदया, मैं शहरी विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2014-2015) के बारे में पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी सातवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

(ii) Statement

श्री राजेन्द्र अग्रवाल: महोदया, मैं आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2014-2015) के बारे में दूसरे प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति के चौथे प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) के अध्याय-1 में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई संबंधी विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

12.07 ½ hrs

STANDING COMMITTEE ON CHEMICALS AND FERTILIZERS 11th Report

SHRI ANANDRAO ADSUL (AMRAVATI): I beg to present the Eleventh Report (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Chemicals and Fertilizers on the subject 'Movement of Fertilizers and Monitoring System' pertaining to the Ministry of Chemicals and Fertilizers (Department of Fertilizers).

12.08 hrs

STANDING COMMITTEE ON HOME AFFAIRS 187th and 188th Report

SHRIMATI KIRRON KHER (CHANDIGARH): I beg to lay on the Table the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Home Affairs:-

- (1) One Hundred and Eighty-seventh Report on the Action Taken by Government on the recommendations /observations contained in the 177th Report on Coastal Security Scheme.
- (2) One Hundred and Eighty-eighth Report on the Action Taken by Government on the recommendations /observations contained in the 178th Report on Disaster Management in the Country.

12.08 ½ hrs

STANDING COMMITTEE ON HEALTH AND FAMILY WELFARE 86th Report

DR. SUBHASH RAMRAO BHAMRE (DHULE): I beg to lay on the Table the 86th Report (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Health and Family Welfare on the Homoeopathy Central Council (Amendment) Bill, 2015.

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यों, माननीय राजनाथ सिंह जी का स्टेटमेंट टेरिस्ट अटैक पर होने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर उनके स्टेटमेंट के पहले आप सभी अपनी-अपनी सीट पर जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर माननीय राजनाथ सिंह जी अपना स्टेटमेंट रखेंगे, 'अटैक इन गुरूदासपुर'।

श्री राजनाथ सिंह जी।

12.09 hrs

At this stage, Shri K.C.Venugopal, Shri N.K.Premachandran and some other hon.

Members went back to their seats.

12.10hrs

STATEMENTS BY MINISTERS

(i)Terrorist Attack in Gurdaspur, Punjab*

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह): अध्यक्ष महोदया, मैं गुरुदासपुर, पंजाब में हुए आतंकवादी हमले के संबंध में अपना स्टेटमैंट सदन के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

27, जुलाई, 2015 की सुबह लगभग 5 बजकर 30 मिनट पर सेना की यूनिफॉर्म में भारी तादाद में हिथियारों से लैस तीन आतंकवादियों ने पंजाब के गुरुदासपुर जिले के दीनानगर के आउटस्कर्ट्स पर दीनानगर निवासी श्री कमलजीत सिंह पुत्र श्री ज्ञान सिंह की मारुति कार नं. पीबी09बी 7743 पर गोलीबारी करते हुए कार को अपने कब्ज़े में ले लिया। इसके बाद इन आतंकवादियों ने दीनानगर बस स्टैंड के आसपास अंधाधुंध गोलियाँ चलाईं। उन्होंने बामियाल से आ रही पंजाब रोडवेज़ की बस नं. पीबी06जी9569 को भी अपना निशाना बनाया।

इसके बाद ये आतंकवादी दीनानगर पुलिस स्टेशन में घुस गए और सुरक्षा ड्यूटी में तैनात संतरी पर फायर किया। पुलिस स्टेशन पर फायरिंग के दौरान होमगार्ड राजिन्दर कुमार और अशोक कुमार घायल हुए। थानाध्यक्ष, सब-इंस्पैक्टर मुख्तियार सिंह, जो पुलिस स्टेशन के अंदर थे, जब बाहर निकले तो आतंकवादियों द्वारा उनको भी फायरिंग कर उन्हें घायल कर दिया गया। आतंकवादी लगातार गोलीबारी करते हुए पुलिस स्टेशन में घुसने की कोशिश कर रहे थे। रात्रि की मुंशी ड्यूटी पर तैनात हवलदार रामलाल ने संतरी का हथियार लेकर बहादुरी से आतंकवादियों का सामना किया। हवलदार रामलाल पुलिस स्टेशन के अंदर चले गए और उन्होंने दरवाज़े को अंदर से बंद कर लिया तािक आतंकवादी पुलिस स्टेशन के अंदर प्रवेश न कर पाएँ। अंधाधुंध फायरिंग के कारण पुलिस स्टेशन के बगल में स्थित किरन अस्पताल में भर्ती तीन मरीज़ भी गोली लगने से घायल हो गए जिनमें से दो लोगों की मृत्यु हो गई।

अध्यक्ष महोदया, इस दौरान ये आतंकवादी पुलिस स्टेशन के पीछे बनी बिल्डिंग, जो पंजाब होमगार्ड की स्थानीय टुकड़ी के कार्यालय के रूप में प्रयोग में लाई जा रही थी, में फायरिंग करते हुए घुस गए। वहाँ उपस्थित तीन होमगाड़र्ज़ फायरिंग की चपेट में आकर वीरगति को प्राप्त हो गए।

तत्काल ही पुलिस की रीइनफोर्समैंट दीनानगर पुलिस स्टेशन पहुँच गई। इसके उपरान्त आतंकवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन के संचालन एवं निगरानी के लिए डीजीपी पंजाब सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की टीम भी घटनास्थल पर पहुँच गई।

-

^{*} Placed in Library, See No. LT 2854/16/15

दोनों तरफ से हुई फायरिंग के फलस्वरूप होने वाली क्षिति को कम-से-कम स्तर पर रखने, आतंकवादियों को भागने से रोकने तथा उन्हें ज़िन्दा पकड़ने के उद्देश्य से पंजाब पुलिस द्वारा लगातार हरसंभव प्रयास जारी रखे गए। अंत में इस सफल ऑपरेशन के दौरान तीनों आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज़ कर दिया गया। दुर्भाग्यवश, इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस अधिकारी श्री बलजीत सिंह, एस.पी. (डिटैक्टिव) गुरुदासपुर आतंकवादियों का सामने करते हुए शहीद हो गए। पंजाब पुलिस ने मृत आतंकवादियों से तीन ए.के.47, 19 मैगज़ीन्स और दो जीपीएस सिंहत भारी मात्रा में अवैध सामग्री भी बरामद की है जिसको एनालाइज़ किया जा रहा है। मैं पंजाब पुलिस द्वारा किए गए इस ऑपरेशन की हृदय से सराहना करता हूँ और पूरी पंजाब पुलिस को भी मैं अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूँ।

जीपीएस डाटा के प्रारंभिक अध्ययन से संकेत मिले हैं कि आतंकवादियों ने पाकिस्तान से, गुरुदासपुर जिले के तास क्षेत्र, जहाँ रावी नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है, से घुसपैठ की। आशंका व्यक्त की जा रही है कि इन्हीं आतंकवादियों ने जम्मू-पठानकोट रेल-मार्ग पर दीनानगर और झकोल नदी के बीच तलवंडी गाँव के पास पाँच आई.ई.डी. प्लांट किए जिन्हें मौके पर ही बॉम्ब डिस्पोज़ल स्क्वैड द्वारा डिफ्यूज़ कर दिया गया। इस स्थान से एक नाइट विज़न डिवाइस भी बरामद किया गया।

इस दौरान गृह-मंत्रालय स्थिति पर लगातार कड़ी नज़र रखते हुए पंजाब सरकार से लगातार संपर्क में रहा। इस ऑपरेशन में पंजाब पुलिस की सहायता करने के लिए आर्मी और एनएसजी को विकल्प के रूप में तैयार रखा गया था। मैंने स्वयं मुख्यमंत्री, पंजाब से बात की एवं केन्द्र सरकार द्वारा सभी आवश्यक सहयोग के लिए इन्हें आश्वस्त किया। बीएसएफ और आर्मी को विशेष रूप से सीमा पर हाई अलर्ट पर रखा गया। इस आतंकी हमले में तीन नागरिक, तीन होमगार्ड के जवान एवं एक पुलिस अधिकारी सिहत कुल सात लोगों की मृत्यु हो गई और इसके अतिरिक्त दस नागरिक और सात सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं।

मैं सदन को यह भी बताना चाहता हूं कि विगत एक माह में जम्मू और कश्मीर सीमा पर घुसपैठ के कुल पांच प्रयास किए गए, जिसमें आठ आतंकवादियों को न्यूट्रेलाइज़ करते हुए चार प्रयासों को विफल कर दिया गया। घुसपैठ की शेष एक अन्य घटना में आतंकवादियों को सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई के कारण वापस लौटना पड़ा था। भारतीय सुरक्षा बल सीमा क्षेत्र में सतर्क रहती हैं, परन्तु कठिन भौगोलिक परिस्थितियां एवं मूसलाधार बारिश होने से सीमा क्षेत्र की नदियों एवं नहरों में अत्यधिक तेज बहाव के कारण ये आतंकवादी भारतीय सीमा में घुस पाने में सफल हुए होंगे।

मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों को यहां आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत की एकता एवं अखंडता तथा देश के नागरिकों की सेफ्टी एवं सिक्योरिटी को अंडरमाइन करने के देश के दुश्मनों के किसी भी प्रयास का हमारे सुरक्षा बलों द्वारा त्वरित एवं मुंहतोड़ जवाब दिया जायेगा। सरकार, आतंकवाद से दृढता

और कड़ाई से निबटने के लिए प्रतिबद्ध है और सीमा पार से चलाई जा रही सभी आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए हरसम्भव प्रयास होंगे।

मैं सरकार की ओर से सभी मृत नागरिकों एवं वीरगित को प्राप्त सुरक्षाकर्मियों के परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं तथा सभी घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इस पर चर्चा नहीं होगी। आप चर्चा मांगिये। स्टेटमेंट पर प्रश्न नहीं होते। I will give you discussion, आप मांगिये न। I am not saying no.

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू): मैडम, कोई अलग नोटिस देकर चर्चा करनी है तो उसके लिए सरकार को कोई आपित नहीं है। माननीय अध्यक्ष: आप नोटिस दे दो, मैं चर्चा करवाऊंगी। आप नोटिस दे दो, इतना ही मेरा कहना है। नियम के अनुसार स्टेटमेंट पर प्रश्न नहीं होते हैं।

12.13 hrs

At this stage, Shri Gaurav Gogoi and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

... (Interruptions)

श्री राजनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदया, मैं समझता हूं कि केवल यह सदन ही नहीं, बल्कि सारा देश मेरी इस बात से सहमत होगा कि आतंकवाद इस देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और आतंकवाद के सवाल पर न तो भारत की संसद विभाजित दिखनी चाहिए और न यह देश किसी भी सूरत में विभाजित दिखना चाहिए।...(व्यवधान) मैं विनम्रतापूर्वक अपने विपक्ष के सभी मित्रों से अपील करना चाहता हूं कि इस पर चर्चा करना चाहते हैं, मुझसे प्रश्न पूछना चाहते हैं तो मैं उसका जवाब देने के लिए और जो भी बहस होगी, उसका उत्तर देने के लिए भी मैं तैयार हूं। ...(व्यवधान) ऐसी परिस्थिति में, जबिक हमारे जवान शहीद हुए हैं और जवान, जो कि अपनी जान को हथेली पर लेकर आतंकवाद का मुकाबला करता है, देश और देशवासियों की सुरक्षा करता है, अध्यक्ष महोदया, एक तरफ वे शहादत दे रहे हैं, ...(व्यवधान) एक तरफ उनकी शहादत हो और दूसरी तरफ आतंकवाद जैसे सवाल पर इस सदन में शोर-शराबा हो,...(व्यवधान) कैसे यह देश इसे स्वीकार कर सकता है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, मैं यह भी विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि आतंकवाद के सवाल पर हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री इस सम्बन्ध में सतत प्रयत्नशील है और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आतंकवाद के सवाल पर बराबर यह कोशिश की गई है, आज से साल-सवा साल के कुछ वर्षों में कि आतंकवाद से

इस देश के लोगों का ध्यान डाइवर्ट किया जाये। मैं याद दिलाना चाहता हूं, 2013 में इसी सदन में पिछली यू.पी.ए. सरकार के पूर्व गृह मंत्री ने हिन्दू आतंकवादी जैसी एक नई टर्मिनोलोजी की ईजाद की थी, तािक जो जांच की दिशा है, उस जांच की दिशा को बदल दिया जाये और आतंकवाद के खिलाफ पूरी मजबूती के साथ यह देश न खड़ा हो पाये।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि यूपीए सरकार के गृह मंत्री ने उस समय जो स्टेटमेंट दिया था और उन्होंने 'हिन्दू आतंकवाद' जैसी एक नयी टर्मिनोलॉजी का ईज़ाद किया था।...(व्यवधान) उसके परिणामस्वरूप पाकिस्तान के हाफिज़ सईद ने भारत सरकार के गृह मंत्री को बधाई दी थी।...(व्यवधान) हम ऐसी शर्मनाक स्थिति इस देश में किसी भी सूरत में पैदा नहीं होने देंगे।...(व्यवधान) मैं कहना चाहता हूं कि आतंकवाद, आतंकवाद होता है।...(व्यवधान) आतंकवाद की कोई जाित नहीं होती, कोई पंथ नहीं होता, कोई मज़हब नहीं होता है।...(व्यवधान) शर्म-अल-शेख और हवाना में क्या हुआ?...(व्यवधान) आतंकवाद को लेकर वहां पर सहानुभूति व्यक्त की गयी।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, ऐसा नहीं होना चाहिए।...(व्यवधान) यूपीए की सरकार ने बराबर कूटनीति की बिसात पर बैठकर विदेश नीति की शक्ल को संवारने की कोशिश की है।...(व्यवधान) मैं सरकार की पिछली नीतियों का भी हवाला देना चाहता हूं।...(व्यवधान) इसका परिणाम क्या हुआ, इसके बारे में मैं चार पंक्तियों में कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा-

चीन छीन देश का गुलाब ले गया, ताशकंद में वतन का लाल सो गया, ये सुलह की शक़ल को संवारते रहे, जीतने के बाद बाजी हारते रहे।

अध्यक्ष महोदया, यही इनकी विदेश नीति रही है।...(व्यवधान) इतना ही कहते हुए अन्त में, अपने सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से मैं अपील करना चाहता हूं कि आतंकवाद के सवाल पर हमें गंभीरतापूर्वक यहां पर चर्चा करनी चाहिए।...(व्यवधान) इस आतंकवाद की चुनौती को पूरी ताकत के साथ हम कैसे स्वीकार करें, इसके संबंध में विचार करना चाहिए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इस पर चर्चा मांगिए। मैंने कहा है कि इस पर चर्चा कराएंगे। आप नोटिस दीजिए। इस पर चर्चा कराएंगे।

...(व्यवधान)

12.22 hrs

(ii) Status of implementation of the recommendations contained in the 6th Report of the Standing Committee on Finance on Demands for Grants (2014- 15), pertaining to the Ministry of Statistics and Programme Implementation*

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF OVERSEAS INDIAN AFFAIRS (GEN. (RETD.) VIJAY KUMAR SINGH): I beg to lay a Statement on the status of implementation of the recommendations contained in the 6th Report of the Parliamentary Standing Committee on Finance on Demand for Grants (2014-15) of Ministry of Statistics and Programme Implementation in pursuance of Direction 73-A of the hon. Speaker, Lok Sabha.... (*Interruptions*)

Action taken statements on the recommendations contained in the above mentioned Reports of the Committee have been sent to Standing Committee on Finance. ... (*Interruptions*)

The present status of implementation of the various recommendations made by the Committee is indicated in the Action Taken Report annexed to my statement which is laid on the Table of the House. I would not like to take the valuable time of the House to read out all the contents of this annexed report. I would request that this may be considered as read.

... (Interruptions)

_

^{*} Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 2855/16/15

12.23 hrs

(iii) Declaration of 7th August as National Handloom Day*

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): महोदया, सदन के माननीय सदस्यों को यह सूचित करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि स्वदेशी उद्योगों और विशेष रूप से, हथकरघा बुनकरों को प्रोत्साहित करने के लिए दिनांक 07 अगस्त, 1905 को चलाए गए स्वदेशी आंदोलन को सम्मान देते हुए भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि प्रत्येक वर्ष 07 अगस्त को 'राष्ट्रीय हथकरघा दिवस' के रूप में मनाया जाएगा।...(व्यवधान) पहला 'राष्ट्रीय हथकरघा दिवस' दिनांक 07 अगस्त, 2015 को मनाया जा रहा है।...(व्यवधान)

माननीय महोदया, वास्तव में, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का उद्देश्य सामान्य रूप से हथकरघा की महत्ता और देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में इसके योगदान के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना और विशेषकर हथकरघा को बढ़ावा देना, बुनकरों की आय और उनके गौरव में वृद्धि करना है।...(व्यवधान) यह एक महत्वपूर्ण कदम है।...(व्यवधान)

माननीय महोदया, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को बताना चाहता हूं कि इससे हथकरघा बुनकरों की स्थिति में सुधार होगा और सदन के सारे सदस्यों से आग्रह है कि इस काम को प्रसन्नापूर्वक लेकर आने वाले समय में सहयोग करें।...(व्यवधान) धन्यवाद।

^{*} Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 2856/16/15

12.24 hrs

BUSINESS OF THE HOUSE

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RAJIV PRATAP RUDY): With your permission, Madam, I rise to announce that Government Business during the week commencing Monday, the 3rd of August, will consist of:-

- 1. Consideration of any item of Government Business carried over from today's Order paper.
- 2. Consideration and passing of the Repealing and Amending (Fourth) Bill, 2015.
- 3. Discussion and voting on: -
 - (a) Demands for Excess Grants (Railways) for 2012-13; and
 - (b) Supplementary Demands for Grants (General) for 2015-16.
- 4. Introduction, consideration and passing of the Appropriation Bills relating to these Demands.

... (Interruptions)

श्री देवेन्द्र सिंह भोले (अकबरपुर): अध्यक्ष महोदया, सादर अवगत हो कि मेरे संसदीय क्षेत्र (44 अकबरपुर) से संबंधित निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान आकृष्ट करते हुए अगले सप्ताह की कार्य सूची में जोड़ने की कृपा करें।

मेरे संसदीय क्षेत्र 44 - अकबरपुर के अंतर्गत जनपद कानपुर नगर में गंगा घाट बिठूर, भीतरगांव, अमौर, कुड़नी, घाटमपुर में कुष्मांडा देवी जैसे प्राचीन मंदिरों के साथ महाकवि भूषण की जन्मस्थली एवं सासंद आदर्श ग्राम टिकवापुर, मोतीझील का तुलसी उपवन, पनकी का प्राचीन हनुमान मंदिर, ड्योढ़ी घाट आदि कई स्थानों का सांस्कृतिक, धार्मिक पौराणिक, ऐतिहासिक महत्व है। उक्त स्थानों पर बने प्राचीन मंदिरों की दूर-दूर तक विख्याति होने के कारण उक्त स्थानों पर कई प्रकार के धार्मिक, सांस्कृतिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता है, किन्तु उक्त प्राचीन धरोहरों की देखभाल न होने तथा हालत जीर्ण-

शीर्ण होने के कारण इनकी महत्वता क्षीण होती जा रही है। इस सभी प्राचीन धरोहरों को पर्यटन स्थल घोषित कर विकास कराये जाने की महती आवश्यकता है।

अतः आपसे निवेदन है कि उक्त सभी स्थलों का सर्वे कराकर पर्यटक स्थल के रूप में विकसित कराये जाने की कृपा करें। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: केवल विषय पर बोलें।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Shrimati P.K. Shreemathi Teacher.

Dr. Shashi Tharoor.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: Shri Bidyut Baran Mahato

... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: आप केवल दो विषय रखेंगे।

...(व्यवधान)

श्री विद्युत वरन महतो (जमशेदपुर): महोदया, मैं अनुरोध करता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र के लोक महत्व के निम्न लिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए:-

- 1. रखा माइन्स, केन्दाडीह माइन्स तथा धोबनी एवं पाथर गड़िया, किसनी गड़िया माइन्स को खोलने के सम्बन्ध में।
- 2. झारखंड में दलमा वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के 51 मौजा के 136 गांवों को इको सेंसेटिव जोन में रखने के विरोध के सम्बन्ध में। ...(व्यवधान)

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): महोदया, लोक सभा के आगामी सप्ताह की कार्य सूची में निम्न लिखित विषयों को जोड़ा जाए:-

- मेरे संसदीय क्षेत्र नालंदा अन्तर्गत प्रत्येक किसानों के खेतों की सिंचाई हेतु 500 फीट की गहराई से पानी के लिए ट्यूबवेल लगाने हेतु सब्सिडी की व्यवस्था कराई जाए, जिससे किसानों में खुशहाली हो सके।
- 2. देश में प्रत्येक वृद्ध, मजदूर-किसान, जिसकी आयु 60 साल से अधिक हो, उसे बी.पी.एल. श्रेणी की सीमा को समाप्त करते हुए वृद्धावस्था पेंशन दी जाए। ...(व्यवधान)

SHRI K. PARASURAMAN (THANJAVUR): Hon. Speaker Madam, I hereby wish to raise the following matters when the hon. Minister of Parliamentary Affairs makes a statement regarding business for the next week:

- 1. Need for adequate water storage infrastructure in the country with a view to prevent undue exploitation of ground water.
- 2. Need for allocation of adequate funds to fully implement the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana for better connectivity of roads in rural areas.

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा): आदरणीय अध्यक्ष महोदया, मैं अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नांकित विषयों को सम्मिलित करने का अनुरोध करता हूं:-

- 1. देश में सार्वजनिक व निजी क्षेत्र की बहुराष्ट्रीय कंपनियां काम कर रही हैं। इन कंपनियों के कंपनी अधिनियम के तहत कॉरपोरेट सोशल रेस्पांसिबिलिटी (सीएसआर) मद के तहत विभिन्न सामाजिक एवं विकास के कार्य करवाने के निर्देश प्रदान किए गए हैं, लेकिन यह देखने में आया है कि कंपनियों द्वारा सीएसआर मद की पूरी राशि खर्च नहीं की जाती है। अतः सीएसआर मद की राशि को पूर्ण खर्च करने एवं कार्यों की समीक्षा के विषय पर चर्चा को आगामी सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए।
- 2. देश के कई राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति बहुत खराब है। जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 99 चण्दवा-चतरा पथ जो एनएच 2 से जोड़ता है, उसमें चतरा-हण्टरगंज-डोभी की स्थिति अत्यंत दयनीय और खराब है। राष्ट्रीय राजमार्गों की सही स्थिति एवं विस्तार के लिए कार्य को समय पर पूर्ण किया जाना चाहिए। कार्य का लक्ष्य प्राप्त नहीं होने पर समय सीमा के बार-बार एक्सटेंशन के कारणों के बारे में चर्चा किया जाना आवश्यक है। अतः विषय की गंभीरता को देखते हुए इस विषय को आगामी सप्ताह की चर्चा में सिमलित किया जाए।

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: Shri N.K. Premachandran – not present. Shri Rajesh Ranjan.

... (Interruptions)

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा): अध्यक्ष महोदया, मेरे निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह की कार्य सूची में सिम्मिलित करने की कृपा की जाये। यह अति महत्वपूर्ण सवाल है। ...(व्यवधान)

समान शिक्षा प्रणाली हेतु गठित मुचकुंद दुबे कमेटी की रिपोर्ट जो अभी तक लागू नहीं हुआ है, उसे लागू करने हेतु सख्त विधि नियम बनाये जाने के संबंध में।...(व्यवधान)

दूसरा, माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के आदेश के बावजूद अभी तक देश में क्लिनिकल एक्ट लागू नहीं हुआ है, इसे तत्काल लागू करने हेतु सख्त विधि नियम बनाये जाने के संबंध में। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, इसे अगले सप्ताह की कार्यसूची में रखा जाये। धन्यवाद। ...(व्यवधान)

- **डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद) :** स्पीकर महोदया, मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषयों का समावेश किया जाये। ...(व्यवधान)
- 1. डा. बाबा साहेब, भीम राव अंबेडकर जी की 125वीं जन्म जयंती पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की बस्तियों में केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर अंबेडकर विद्यालयों की स्थापना की जाए। ...(व्यवधान)
- 2. भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री मोरार जी देसाई जी की समाधि स्थल, साबरमती आश्रम गौशाला ट्रस्ट, अहमदाबाद अभय घाट की जरूरी औपचारिकताओं को पूर्ण करके, चहूंमुखी विकास किया जाये। धन्यवाद। ...(व्यवधान)

12.31 hrs

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (GENERAL) - 2015-16*

HON. SPEAKER: Now, Item No. 34 – Shri Arun Jaitley.

... (*Interruptions*)

THE MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI ARUN JAITLEY): Madam, I beg to present a statement (Hindi and English versions) showing Supplementary Demands for Grants in respect of Budget (General) for 2015-16.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: The House Stands adjourned to meet again at 2 p.m.

12.32 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.

^{*} Placed in Library, See No. LT 2857/16/15.

14.00 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Fourteen of the Clock.

(Hon. Deputy-Speaker in the Chair)

... (*Interruptions*)

SUBMISSION BY MEMBERS

Re: Statement made by the Minister of Home Affairs on the Terrorist Attack in Gurdaspur, Punjab

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Sir, I tried my best to bring to the notice of the hon. Speaker regarding the statement made by Shri Rajnath Singhji about the Gurdaspur terrorist incident. But unfortunately I was not allowed. The Statement was made under Rule 372. As per that rule -- you are aware about that rule, I need not tell -- only statement can be made. There should not be any discussion or further question after the *suo motu*. But unfortunately, the hon. Home Minister had made a lengthy speech after the . I do not have any objection about his . We all welcomed it. Even we clapped and supported it because the country is one. We want to say that we all are one; there is no compromise on terrorist activities; there is no compromise on national integration. If anything comes on this country, we all are one to face it. There can be no compromise. That is our stand. That is why we humbly tried and we requested all our Members... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Members, please take your seats.

... (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Sir, he cannot talk. I am on my legs... (Interruptions)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Krit Somaiya, please take your seat.

... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Khargeji, please conclude, now.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: I am concluding. I am not going against the rules. As per rule, the hon. Minister made the . But the he made was just to divide this House... (*Interruptions*) To blame Congress is not right... (*Interruptions*)

During Congress period, what they had done! Was it necessary to mention about China and other places? It was just to defame the previous Government that he said these things... (*Interruptions*) This should not be politicized. You should not make political. You are playing politics; and we will not tolerate it... (*Interruptions*)

Therefore, Sir, I would request you that whatever extra he had said apart from his *suo motu*, should be expunged and it should not be made part of the proceedings... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Members, please have order in the House. ...(Interruptions)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Sir, if at all, the Government wants to discuss this issue, we are ready to discuss it. But it should be as per rules. They may give the notice under Rule 193 or Half-An-Hour Discussion or under some other rules. Whatever they want to do it, let them do it under the rules. But it should not be that he would make a *suo motu*, then bypass the rules, blame somebody to become heroes... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY-SPEKAER: All right.

... (Interruptions)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Such things will not be tolerated. So, whatever he had said after the *suo motu* should be expunged... (*Interruptions*)

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): महोदय, गुरूदासपुर में आतंकी हमले के पश्चात गृह मंत्री जी ने अपना बयान दिया, जिसमें उन्होंने विस्तार से बताया कि आतंक की लड़ाई में पूरा सदन एक है, इस पर सदन के सभी सदस्यों की सहमति हुई, सभी ने एक स्वर में कहा कि आतंक की लड़ाई में पूरा सदन एक है, हम सभी ने इसका मेज थपथपाकर स्वागत किया। इसके बाद माननीय गृह मंत्री जी ने विस्तार से बताया कि आज देश में कुछ परिस्थितियां ऐसी उभरी हैं ...(व्यवधान) जिसका मूल कारण हमारी नीति का एक न होना है और जब तक सदन में ऐसे विषयों पर सहमति नहीं होगी तो देश में ऐसा संवाद जाएगा कि देश आतंक की लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है ...(व्यवधान)। माननीय गृह मंत्री जी ने इसी विषय का विश्लेषण करके माननीय सांसदों से आग्रह किया कि देश की सुरक्षा के सवाल पर हम एकमत होकर रहें, इसी बात का आग्रह उन्होंने किया है, इसमें कोई भी विषयांतर नहीं है। सदन को इस विषय पर किसी रूप में बांटने का प्रयास नहीं किया गया है। ये शब्द बिल्कुल गलत है, जो बात उन्होंने सदन में रखी है वह देश के हित में है, देश की एकता के हित में है, सांसदों की भूमिका के बारे में कही गई है। मुझे नहीं लगता कि जो भी उन्होंने बात कही है, वह गलत है।

HON. DEPUTY SPEAKER: Please take your seat.

... (Interruptions)

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): I have a point of order.

HON. DEPUTY SPEAKER: There is no point of order. We are taking 'Zero Hour'. He has already raised the issue. Therefore, others need not speak on the same issue. I cannot allow you to speak on the same issue. He has already raised the issue. The Minister has replied. That matter is over.

... (Interruptions)

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): How is it over?

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: Let them give a notice for the discussion and we will admit it. In case they want to give a notice for discussion, we are ready for a discussion. There is no problem for discussing the issue if they serve a notice. But now we will take 'Zero Hour'.... (*Interruptions*)

PROF. SAUGATA ROY: Sir, I will take only one minute. I have given a notice. All that I want to say is that under rule 372, a Minister can make a *suo motu*

statement and it is clear and if the Speaker agrees, after that no questions are asked. The Speaker also said that if you want to raise the issue, you raise it through a separate motion. But what happened? One statement was circulated. Then, after the statement was concluded, everybody saw the silence. Suddenly, the Home Minister went into a rampaging speech where he accused people of having raised Hindu terrorism, where he raised the question of Sharm-el-Sheikh. Now when the House is totally united on the matter of rooting out terrorism from the country, this statement by the Home Minister was against the rule because it was not circulated and it brought a division in the House. Sir, I would like you to examine the Home Minister's speech and it is out of the prepared statement. What he said was not circulated to us.

HON. DEPUTY SPEAKER: Please take your seat. You have already made your point.

You have raised certain issue and Kharge Ji also raised it. Already, the hon. Speaker was presiding over the House at that time. She had permitted. She is the supreme. As per whatever rules she said, we cannot question that.

... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: I am telling you the position, please.

... (Interruptions)

SHRI K.C. VENUGOPAL: We want a ruling. ... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Also, now Kharge Ji said that they wanted to have a discussion through whatever rules available. You want a discussion on that through the available rules. You said you are ready. Even he also said he is ready for that. Therefore, that is all right.

... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: No, the hon. Speaker is supreme.

... (*Interruptions*)

SHRI RAJIV PRATAP RUDY : Sir, on this subject, if any notice is given by the hon. Members, the Government is ready to hold a discussion. अगर आपकी तरफ से

आतंकवाद पर चर्चा के लिए कोई नोटिस आता है तो हम इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं ...(व्यवधान) अगर आतंकवाद के सवाल पर कांग्रेसी मित्र सदन में बार-बार आएंगे तो ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर देश में चर्चा नहीं हो पाएगी। इसलिए आप इनसे कहें कि नोटिस दें। ...(व्यवधान) सदन में हर विषय पर चर्चा करने के लिए हमारी सरकार तैयार है। ...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: I want to tell you what you want.

... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: I want to tell you about what you raised on this point.

... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: In the past, there have been instances of Ministers intervening and giving further clarification after *suo motu* statements.

Now, we will take up 'Zero Hour'.

... (Interruptions)

14.11 hrs

At this stage, Shri Kodikunnil Suresh and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

... (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Jagdambika Pal – not present. Shri Nishikant Dubey. ... (*Interruptions*)

श्री निशिकान्त दुवे (गोड्डा): उपाध्यक्ष महोदय, ...* भ्रष्टाचार की जननी है और यह गंगोत्री में डूबी हुई है। ...(व्यवधान) सीएजी की लगातार रिपोर्ट आयी हैं और इसने टू-जी, कोलगेट, सीडब्ल्यूजी आदि घोटाले जाहिर किये हैं। ...(व्यवधान) आज यह अपनी चोरी बंद करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे की तरफ आपका और इस देश का ध्यान ले जाना चाहता हूं। ...(व्यवधान) अभी सीएजी की एक रिपोर्ट ड्यूल फ्रेट के बारे में आयी है। ...(व्यवधान) रेल मंत्रालय ने 22 मई, 2008 को रेलवे में दोतरफा फ्रेट जारी किया। ...(व्यवधान) रेल मंत्रालय ने यह इसिलए जारी किया, क्योंकि वर्ष 2009 में इलैक्शन होने वाला था और उनको इसकी स्मगिलंग करानी थी। ...(व्यवधान) ड्यूल फ्रेट रोकने के लिए रेलवे के पास कोई भी ऐसे काम नहीं थे या कोई अधिकारी ऐसे नहीं थे, जिन्हें यह पता होता कि यह डोमेस्टिक आयरन ओर जायेगा या यह इंटरनैशनल आयरन ओर जायेगा। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, यह कारण था कि रेलवे के माध्यम से, खासकर हमारे झारखंड से लगातार आयरन ओर की चोरी हो रही थी। ...(व्यवधान) यहां के बिजनसमैन एक वैगन की बुकिंग कराते थे और कहते थे कि हम डोमेस्टिक फ्रेट ले जा रहे हैं और उसे चाइना, जापान या जहां कहीं भी बेचना होता था, स्मगिलंग के माध्यम से बेचते थे। ...(व्यवधान) इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्ष 2010-11 में सीएजी की रिपोर्ट आयी। ...(व्यवधान) सीएजी की रिपोर्ट में रेलवे ने उसकी कोई भी एक्शन टेकन रिपोर्ट नहीं दी। ...(व्यवधान) उसके बाद वर्ष 2012-13 में फिर सीएजी की रिपोर्ट आयी। ...(व्यवधान) दो-दो बार रिपोर्ट आ गयी, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस ने कार्रवाई नहीं की। ...(व्यवधान) इसके बाद फाइनली अभी वर्ष 2015 में एक रिपोर्ट आयी है और कहा गया है कि चूंकि कांग्रेस ने यह काम नहीं किया, इसे रोकने का प्रयास नहीं किया। ...(व्यवधान) सारे रेल मंत्री और रेलवे बोर्ड इसके दोषी हैं। ...(व्यवधान) इस कारण से देश को 30 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। ...(व्यवधान)

* Not recorded as ordered by the Chair

_

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि सारे रेल मंत्रियों के ऊपर, वर्ष 2008 से जो भी रेल मंत्री रहे हैं, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कीजिए, व्हाइट पेपर जारी कीजिए और उन्हें जेल भेजिये। ... (व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Bhairon Prasad Mishra, Shri P.P. Chaudhary and Shri Gajendra Singh Shekhawat are permitted to associate with the issue raised by Shri Nishikant Dubey.

डॉ. उदित राज (उत्तर-पश्चिम दिल्ली): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकर्षित कर रहा हूं। ...(व्यवधान) सन् 1997 में पांच आरक्षण विरोधी आदेश जारी हुए थे। ...(व्यवधान) उसके बाद वाजपेयी जी प्रधान मंत्री बनें। ...(व्यवधान) फिर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति परिषद मेरे नेतृत्व में बना। ...(व्यवधान) वाजपेयी जी के साथ तमाम बैठकें हुईं, आंदोलन हुआ, जिसकी वजह से वाजपेयी जी की सरकार ने बहुत महान काम किया और 85वां संवैधानिक संशोधन पास किया, जिसमें पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान है। ...(व्यवधान) इसे कर्नाटक हाई कोर्ट में चुनौती दी गयी। ...(व्यवधान) वह मामला सुप्रीम कोर्ट में आता है। ...(व्यवधान) वर्ष 2006 में सुप्रीम कोर्ट में नागराज के नाम से एक केस लड़ा जाता है और पदोन्नित में आरक्षण का अधिकार हमें मिलता है, अर्थात 85वां संवैधानिक संशोधन बैलट किया जाता है। ...(व्यवधान) फिर 4 जनवरी, 2011 को लखनऊ होई कोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण को मना कर दिया। ...(व्यवधान) उसके बाद वह केस सुप्रीम कोर्ट में भेजा गया। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पदोन्नति में आरक्षण से विसंगतियां पैदा हुई हैं। ...(व्यवधान) वर्ष 2012 में यह बिल राज्य सभा में पास हो चुका है लेकिन लोक सभा में पास नहीं हो पाया।...(व्यवधान) मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि वह इसी सत्र में पदोन्नति में आरक्षण का बिल लाये और पास करे। ...(व्यवधान) यही मेरा सरकार से अनुरोध है। लखनऊ हाई कोर्ट की दो जजेज की बेंच थीं। ...(व्यवधान) सुप्रीम कोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण को मना किया, जबकि नागराज केस में पांच जजेज की बेंच थीं। ...(व्यवधान) उसके हिसाब से भी पदोन्नति में आरक्षण बरकरार रहना चाहिए। ...(व्यवधान)

उत्तर प्रदेश में कर्मचारी और अधिकारी समाजवादी पार्टी की सरकार की वजह से बहुत प्रताड़ित हो रहे हैं। ... (व्यवधान) उनका डिमोशन हो रहा है, इसे फौरन रोका जाना चाहिए। पदोन्नित में आरक्षण देने का बिल राज्यसभा में पास हो चुका है मैं सरकार से अर्ज करता हूं कि लोकसभा में इसी सत्र में पास करके लाखों एससी, एसटी अधिकारियों और कर्मचारियों का रिवर्सल रोका जाए। इनका फरदर प्रमोशन ब्लॉक हुआ है, उसे भी दुरुस्त किया जाए। ... (व्यवधान) हरियाणा सरकार ने हाल ही में पदोन्नित में आरक्षण का रास्ता साफ किया है। मैं मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यह रास्ता

साफ किया है, हालांकि दुर्भाग्यवश कुछ लोग हाईकोर्ट चले गए हैं। बिहार, राजस्थान राज्य में कमेटी बनाकर पदोन्नति में आरक्षण दिया गया है।...(व्यवधान) मेरा कहना है कि इसी प्रकार अन्य राज्यों में भी पदोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

HON. DEPUTY SPEAKER: Dr. Kirit P. Solanki, Shri Virender Kashyap, Shri P.P. Chaudhary, Dr. Yashwant Singh, Shri Vinod Kumar Sonkar, Shrimati Priyanka Singh Rawat, Sadhvi Savitri Bai Phule and Shrimati Anju Bala are permitted to associate with the issue raised by Dr. Udit Raj.

... (Interruptions)

श्री धनंजय महाडीक (कोल्हापुर): माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरे निर्वाचन क्षेत्र कोल्हापुर के लोगों की कई सालों से मांग थी कि पूना से कोल्हापुर लाइन का दोहरीकरण और इलैक्ट्रिफिकेशन किया जाए। मैं माननीय रेल मंत्री जी आभार मानता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि वर्ष 2014-15 के रेल बजट में पूना से मिरज डबलिंग के लिए 4600 करोड़ रुपए का एनाउसमेंट किया है। मिरज से कोल्हापुर सिर्फ 46 किलोमीटर दूर है। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से गुजारिश करता हूं कि बाकी बचे हुए 46 किलोमीटर के ट्रैक की डबलिंग और इलैक्ट्रिफिकेशन भी की जाए।...(व्यवधान)

कोल्हापुर से कोंकण को जोड़ने का प्रस्ताव कई सालों से चल रहा है। हमारी यह मांग कई सालों से है। 2014 में इसका सर्वे किया गया और 3000 करोड़ रुपए का एस्टिमेट बनाया गया। यह रूट थोड़ा लंबा है इसिलए मैं रेल मंत्री जी गुजारिश करता हूं कि कोल्हापुर, राजापुर ट्रैक अगर गगनबावड़ा तालुका से जाए तो इसकी कॉस्ट कम हो सकती है। गगनबावड़ा तालुका डैवलमेंट में पीछे है, अगर यह ट्रैक बन जाता है तो इस तालुके की उन्नित हो सकती है। ...(व्यवधान)

श्री राहुल शेवाले (मुम्बई दक्षिण मध्य): माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान देश की आंतरिक सुरक्षा के महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। यह बहुत सेंसिटव इश्यू है।...(व्यवधान) देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समुचित आईपीएस अधिकारियों की नियुक्ति बहुत आवश्यक है। देश में आईपीएस अधिकारियों के पदों की कुल संख्या 4754 है जिसमें 3848 पद भरे गए हैं जबिक एक वर्ष से 906 पद रिक्त हैं। महाराष्ट्र राज्य में 62 पद रिक्त हैं लेकिन इन्हें भरने का कोई प्रयास नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 129 पद रिक्त हैं।...(व्यवधान) यदि इतने महत्वपूर्ण पद रिक्त रहते हैं तो आंतरिक सुरक्षा की स्थिति का क्या होगा, अपराध बढ़ते जाएंगे और इसे रोकने के लिए पर्याप्त पुलिस बल का होना अत्यंत आवश्यक है। हर वर्ष कुछ पद रिटायरमेंट के कारण रिक्त हो जाते हैं लेकिन इन्हें उस

अनुपात में भरा नहीं जा रहा है। पिछली सरकार ने इन पदों को भरने का कोई प्रयास नहीं किया है। ...(व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में आईपीएस अधिकारियों के रिक्त पदों पर नियुक्तियां करने के लिए कारगर कदम उठाएं ताकि देश में आंतरिक सुरक्षा का इंतजाम सुचारु रूप से हो सके।...(व्यवधान)

श्री अरिवंद सावंत (मुम्बई दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं शून्य काल में अत्यंत महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहता हूं। आज कल किडनी फेल्यर के मरीजों की संख्या बहुत बढ़ रही है।...(व्यवधान) पिछले 15 सालों में यह संख्या दुगनी हो गई है। इनमें 20 परसेंट मरीज गरीबी रेखा के नीचे हैं। मुम्बई रेल में कैंसर से पीड़ित मरीजों और डिसएबल्ड लोगों के लिए एक कोच डेडिकेटिड रखा गया है।...(व्यवधान) किडनी फेल्यर मरीजों का डायिलिसिस होता है और चार घंटे डायिलिसिस के बाद मरीज इतने कमजोर हो जाते हैं कि वे रेल में सफर नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में उनको इस कम्पार्टमेंट में यातायात करने की अनुमित देने की मांग मैं इस शून्य प्रहर में कर रहा हूं। ...(व्यवधान) रेल मंत्री जी से और रेल के अधिकारियों से मेरी प्रार्थना है कि मुम्बई जैसे शहरों में लोकल ट्रेन में आपने जो हैंडीकैप्ड और केंसर पैशेंट्स के लिए डेडीकेटेड कम्पार्टमेंट रखा है, उसी में किडनी के पेशेंट्स को भी यातायात करने की अनुमित दी जाए।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Nishikant Dubey, Dr. Kirit P. Solanki and Shri Bhairon Prasad Mishra are permitted to associate with the issue raised by Shri Arvind Sawant.

... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Harinarayan Rajbhar – Not present.

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा): माननीय उपाध्यक्ष जी, बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि बिहार लगातार अपराधियों और बलात्कारियों के चंगुल में जा चुका है। आए-दिन सासाराम में दिलत बेटियों के साथ बलात्कार और बलात्कार की वीभत्स घटनाएं होती रहती हैं।...(व्यवधान) और फिर उस घटना के बाद पूर्णिया में बलात्कारियों ने जिस तरीके से एक मां के साथ, बिहनों के साथ गैंगरेप किया, वह अत्यंत ही निंदनीय और गंभीर मामला है। अभी परबत्ता में कल आर.एन.सिंह विधायकों के गुंडों के द्वारा परबत्ता में तांती समाज के पूरे गांव पर हमला बोलकर मिहलाओं के साथ छेड़खानी की गई।...(व्यवधान) बेटियों के साथ गलत व्यवहार किया गया और गांवों से तांती समाज के पूरे समाज को लूटकर भगा दिया गया। इसी तरह से लखीसराय में एक तांती को उठाकर एक दबंग और क्रिमिनल ने उसे क्रैशर में फेंककर दो टुकड़ों

में कर दिया। पिंटूश यादव की हत्या एक विधायक के इशारे पर बार में कर दी जाती है और अभी तक उन विधायकों पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की जाती और न ही कोई केस लगाये जाते हैं।

अभी हाजीपुर में दो मुखिया के साथ- हाजीपुर के विदुपूर्ण मुखिया को जनता दल के लोगों द्वारा मारकर फेंक दिया गया। ...(व्यवधान) अभी सोपोल में करजान में एक मुखिया को मारकर फेंक दिया गया। वहां पर लगातार साम्प्रदायिकता का माहौल बना हुआ है। मधेपुरा में दलितों के एक गांव पर हमला किया गया। सौगर में मुसलमानों के गांवों पर हमला किया गया। बिहार में जनप्रतिनिधि स्रक्षित नहीं हैं। अपराधी, नेता, दलाल और धनपतियों के हाथ में पूरा बिहार चला गया है। रिंकुश राज जिसको पुलिस ने किशनगंज में मार दिया और ऐसे ही दस नौजवान किशनगंज में गायब हैं जो नौकरी मांगने के लिए गये थे। उसमें एक सिंकुराज है। लेकिन सिंकुराज को मार दिया गया। लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। किशनगंज में मारे गये छात्रों के परिवारों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया है।...(व्यवधान) बिहार पूरी तरह से अपराधियों के चंगुल में है। बिहार में पूरी तरह से लाठी और गोली की सरकार है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि बिहार सरकार को अविलम्ब बर्खास्त करके बिहार में दस करोड़ लोगों की हिफाजत की जाए। वहां की मां और बहनें सुरक्षित नहीं हैं। ...(व्यवधान) वहां की बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। सासाराम की दलित की बेटी, पूर्णिया की बहनें और परबत्ता के तांती समाज की औरतों और बेटियों पर जो जुल्म हुआ है, इन सभी लोगों को न्याय मिलना चाहिए और रिंकुशराज की पुलिस ने मारते मारते हत्या कर दी, आज तक जांच नहीं की गई और किशनगंज में दस नौजवान अभी तक गायब हैं। ...(व्यवधान) इसकी पूरी जांच की जानी चाहिए। मैं आपसे मांग करना चाहता हूं कि बिहार सरकार लगातार अपराधी और दलाल विधायकों के चंगुल में है तथा वह लगातार जनप्रतिनिधियों पर हमला कराती है। ...(व्यवधान) वहां के नौजवान स्रक्षित नहीं हैं। वहां के रोजगार सेवक, वहां के नियोजित शिक्षक, लोक शिक्षक, आंगनवाड़ी, प्रोफेसर, जवान सभी पर लाठियां और गोलियां चल रही हैं। उनको न्याय नहीं मिलता है।...(व्यवधान) इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि बिहार में डाटा ऑपरेटर्स को, प्रोफेसर्स को, जवानों को, मां-बेटियों को सरकार सुरक्षित करे, उनकी हिफाजत करे। आंगनवाड़ी महिलाएं भूख से मर रही हैं लेकिन उनको कोई देखने वाला नहीं है। डाटा ऑपरेटर्स भृख से मर रहे हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं है। यह सरकार गुंडों की सरकार है। इसलिए इस सरकार को बर्खास्त किया जाए, मैं ऐसी मांग करता हूं। धन्यवाद।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Nishikant Dubey, Dr. Kirit P. Solanki and Shri Bhairon Prasad Singh are permitted to associate with the issue raised by Shri Rajesh Ranjan.

... (Interruptions)

SHRI KOTHA PRABHAKAR REDDY (MEDAK): Mr. Deputy-Speaker, Sir, as a Member of the TRS Party holding a protest in the House, I want to lay my speech on the Table of the House. ... (*Interruptions*)

डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद): माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने गुजरात के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाने की मुझे स्वीकृति दी है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। ...(व्यवधान) दक्षिण गुजरात में इलैक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन लिगनाइट के लिए सम्मित दी गई है मगर आपके माध्यम से मैं सरकार और सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि गुजरात को लिगनाइट के बेस पर इलैक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करने की अनुमित दी गई है।

खाँ. किरिट पी. सोलंकी: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे गुजरात के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाने की अनुमित दी है। दक्षिण गुजरात में इलैक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन लिग्नाइट बेस्ड करने के लिए सहमित दी गयी है। लेकिन मैं आपके माध्यम से सदन का एवं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि गुजरात को लिग्नाइट के बेस पर इलैक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करने की अनुमित तो दे दी गयी, लेकिन उसे लिग्नाइट प्रदान नहीं किया जाता है। यदि इसके माध्यम से गुजरात में इलैक्ट्रिसिटी पैदा होती है, तो स्मॉल और कुटीर उद्योग को उससे फायदा हो सकता है, बिजली की दरें सस्ती हो सकती है। इसलिए आपके माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि गुजरात इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड को लिग्नाइट का आवंटन किया जाए। नेयवेली कारपोरेशन के माध्यम से आवंटन किया जाए। गुजरात में बिजली के संबंध में ज्योति ग्राम योजना के तहत 24 घंटे बिजली मिलती है। यदि लिग्नाइट के माध्यम से गुजरात को बिजली मिलती है, तो इससे गुजरात के लोगों को कम दामों पर उपलब्ध हो सकता है।

आपने मुझे बोलने की अनुमित दी, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ।
श्री सी.आर.चौधरी (नागौर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे
ज़ीरो आवर में बोलने का अवसर दिया।

में पूरे राजस्थान की एक समस्या के बारे में, सदन को और माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूँ। 65वें संविधान संशोधन के पश्चात् पूरे पंचायती राज संस्थाओं को स्वायत्त बनाने के लिए काफी अधिकार दिये गये और इन अधिकारों में से स्वास्थ्य विभाग, जलदायी विभाग तथा अन्य विभागों के कार्य इनके हाथ में दिये गये। लेकिन इनको धनराशि या फाइनैंशियल अधिकार नहीं दिये गये। इस कारण पीएचईडी विभाग से संबंधित जो काम इनको सौंपे गये थे, वह यह था कि ग्रामीण क्षेत्र की जो पेय जल व्यवस्था है, पेय जल संबंधी जो कार्य हैं, वे पंचायतों को दिये गये।

राजस्थान में भी पंचायतों को ग्रामीण पेय जल संबंधी काम दिया गया और इसका राजस्थान में नाम था-जनता जल योजना। इस योजना के तहत पंचायत को अपने ट्यूबवेल चलाने, मोटर पम्प रखने, बिजली बिल का भुगतान करने आदि का काम पंचायतों के जिरये दिया गया। यदि कोई मशीन खराब हो जाती है, तो उसे भी ठीक करना उनका काम था। लेकिन कुछ अंतराल में पंचायतें इन कार्यों को करने में सक्षम नहीं रहीं क्योंकि उनके पास धन की कमी थी। भारत सरकार की ओर से कोई पैकेज नहीं दिया गया था। इस कारण से आज की तारीख में राजस्थान की अधिकांश पंचायतों में पेय जल व्यवस्था ठप है। जनता जल योजना काफी दुर्गती की हालत में है।

मैं आपके माध्यम से माननीय जलदाय मंत्री, पेय जल मंत्री और पंचायती राज मंत्री जी और ग्रामीण विकास मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि जनता जल योजना को, हालांकि यह योजना राजस्थान सरकार की है, लेकिन चूंकि पंचायतों को संगठित करना, सुदृढ़ करना, पंचायतों को स्वायत्तता देना भारत सरकार का कार्य है। भारत सरकार के द्वारा 65वाँ संविधान संशोधन लाया गया है। ऐसे समय में मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध है कि राजस्थान को एक विशेष पैकेज दें ताकि आज तक जो जनता जल योजना का पेमेंट बकाया है, उसे पंचायतें चुकाये और उसके बाद आगे का कार्य राजस्थान सरकार स्वयं देखें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री केशव प्रसाद मौर्य (फूलपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं उत्तर प्रदेश, विशेष तौर से जनपद इलाहाबाद और कौशाम्बी में कानून व्यवस्था की खराब स्थिति पर सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ।

मेरे लोक सभा क्षेत्र फूलपुर में, पिछले एक महीने से हत्या, लूट, बलात्कार, छिनैती, डकैती की अनेक घटनाएँ घटीं। लेकिन उन अपराधियों को पकड़ने की जगह प्रदेश सरकार के इशारे पर, चूंकि इस समय जो प्रदेश में सरकार है, वह ...* अपराधियों की सरकार है। ...*और अपराधियों की सरकार के कारण जिन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है। मेरे लोक सभा क्षेत्र के सोरांव थानाक्षेत्र, मऊ-आइमा थानाक्षेत्र, फूलपुर थानाक्षेत्र, धूमनगंज थानाक्षेत्र आदि सभी थानाक्षेत्रों में ऐसी घटनाएँ घट रही हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां कानून-व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब है कि अभी कुछ दिन पहले दुकान में बैठा हुए

-

^{*} Not recorded as ordered by the Chair

एक व्यापारी, सामान बेचने के लिए बैठा हुआ है, वहां समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता... * उसकी दुकान पर आते हैं, पैंतीस-छत्तीस हजार रुपये का सामान खरीदते हैं और जब वह व्यापारी पैसे की मांग करता है तो उसे गोली मार दी जाती है। उनमें से एक व्यक्ति की मौत हो गयी और एक व्यक्ति अभी अस्पताल में है। ... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में गोवध निवारण अधिनियम है, लेकिन उस कानून के बावजूद इस समय गोहत्यारों को जैसे वहां पूरी छूट मिली हुई है। तस्करी और हत्याओं की घटनाओं में शामिल रहने वाले अपराधियों को थानों से संरक्षण मिल रहा है। इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश पुलिस एक वर्ग विशेष को तुष्ट करने के लिए लोगों को अपमानित करने पर जुटी है। पुलिस लाइन के अंदर दंगों पर नियन्त्रण करने के बारे में रिहर्सल किया जाता है, उस रिहर्सल के दौरान जिन लोगों को दंगाई बताया जाता है, उनके हाथ में भगवा झण्डा पकड़ाया जाता है। मैं आज इस सदन के माध्यम से इसकी भर्त्सना करता हूं और ऐसे पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करता हूं।...(व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र में एक प्रसिद्ध शिव मन्दिर है - पाण्डेश्वर महादेव। वहां पर निशान चढ़ाने की परम्परा है। अभी पिछले दिनों मउआइमा थाना क्षेत्र के अन्दर गांव के भक्त लोग सामान्य ढंग से निशान चढ़ाने के लिए जा रहे थे, उस समय रमजान का महीना भी चल रहा था। उन लोगों ने वहां उनके सम्मान में अपने ध्वनिवर्धक यंत्र बंद करके आगे निकलकर गए, लेकिन उसके बावजूद उन पर हमला किया गया। हमला करने वालों पर कार्रवाई करने की जगह जिन लोगों पर हमला हुआ, उन लोगों को अभियुक्त बनाने का काम किया गया।...(व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसीलिए आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में इस समय कानून का राज नहीं, अपराधियों ... * का राज है, भ्रष्टाचार चरम पर है, माताएं-बहनें सुरक्षित नहीं हैं, व्यापारी सुरक्षित नहीं हैं, नौजवान सुरक्षित नहीं हैं। मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त करके वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। मैं ऐसी मांग करता हूं।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Bhairon Prasad Mishra is permitted to associate with the issue raised by Shri Keshav Prasad Maurya.

... (Interruptions)

^{*} Expunged as ordered by the Chair

डॉ. मनोज राजोरिया (करौली-धौलपुर): धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने संसदीय क्षेत्र के जिला धौलपुर की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। धौलपुर राजस्थान का एकमात्र स्टेशन है जो उत्तर-मध्य रेलवे के अन्तर्गत आता है। गाड़ियों के ठहराव के अभाव में रेल सुविधाओं से उपेक्षित है। यहां आगरा फोर्ट-अजमेर इंटरिसटी (12195-12196) गाड़ी अजमरे से आगरा तक जाती है। इस समय में जब रेलवे का उद्देश्य यह है कि अधिक से अधिक यात्रियों को सुविधाएं दी जाएं और रेलवे की आमदनी भी बढ़ाई जाए। यह रेल अजमेर से सुबह रवाना होती है और रात में लगभग आठ बजे आगरा आकर ठहर जाती है और पूरी रात आगरा में रुकती है। अगले दिन सुबह रवाना होकर वापस अजमेर जाती है। मैं आपके माध्यम से आग्रह करुंगा कि इस रेलगाड़ी का विस्तार अगर ग्वालियर तक कर दिया जाता है तो ग्वालियर के रास्ते में बीच में धौलपुर आता है, इस तरह से धौलपुर और ग्वालियर के यात्रियों को इस रेलगाड़ी के माध्यम से जुड़ने का मौका मिलेगा। रात आठ बजे आगरा पहुंचने की बजाय अगर यह गाड़ी दस बजे ग्वालियर खड़ी होती है तो इसकी आमदनी भी बढ़ेगी और यात्रियों को सुविधा भी होगी। फिर यही रेल वापस वहां से रवाना होकर अजमेर जा सकती है।

मेरा आपसे आग्रह है कि इस रेलगाड़ी का विस्तार ग्वालियर तक करने की कृपा करें जिससे इसके माध्यम से रेलवे की आय भी बढ़े और यात्रियों की सुविधा भी बढ़े। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I would request the Government of India to implement the AP Reorganisation Act which was passed by the previous Government and also to fulfill all the assurances that have been given to the State of Andhra Pradesh. Sir, you see the problem which is happening right now. Because the Act is not being implemented properly, we see that Telangana Members are also protesting in the House today.

My sincere request to the Government of India is that they grant special status to the State of Andhra Pradesh. Hon. Minister Rao Inderjit Singhji has replied today categorically to some hon. Member who has asked for special status to Bihar. The Minister said that after the Fourteenth Finance Commission, the question of giving special status does not arise for any State. But, Sir, please do

not compare the State of Andhra Pradesh with any other State for which people are demanding special status. We were not a negative-Budget State before bifurcation.

It is because of all the problems that have been created by the previous Government that we are now in a negative budget state. ... (*Interruptions*) Because of being in a negative budget, even if more money is coming to the States in the 14th Finance Commission, even after five years we will be a negative budget State whereas Telangana, Odisha, Karnataka and all other neighbouring States including your State of Tamil Nadu will have surplus budget of Rs 30,000 to 40,000 crore. How can we compete with them? ... (*Interruptions*) We will be in a negative budget and all the other States will be in surplus budget. There will be no level playing field for us and still they are delaying all the Acts. ... (*Interruptions*) Because of that, you see that already we have lost three large scale industries which were supposed to come to Andhra Pradesh because they were all expecting special status for Andhra Pradesh. ... (*Interruptions*) It is delayed. So, they have gone to other States and now there is huge problem of unemployment in Andhra Pradesh. There are no finances to do anything. ... (*Interruptions*)

Also, with the special status, the grant from the Central Government is done on a 90:10 basis. ... (*Interruptions*) If there is a delay in this or if they think there is a problem in giving this or they want some more time in giving this, let us work out another deal where it is not 90:10. ... (*Interruptions*) There is a special package even if it is 80:20 or 70:30. There is some grant which is given immediately so that we can start the process of rebuilding the State of Andhra Pradesh. ... (*Interruptions*)

I request the Government of India to understand the sentiments of the people of Andhra Pradesh and give it a special status and to implement all the aspects which are there in the reorganisation Act. ... (*Interruptions*) It will do a lot of benefit for the States of Andhra Pradesh and Telangana. I sincerely request the Government of India to p look into this. ... (*Interruptions*)

श्री जनार्दन मिश्र (रीवा): उपाध्यक्ष महोदय, देश में राजनैतिक नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा रिश्वत लेना, किसी संस्था की मदद करना या सरकारी धन का अपने हित में दुरुपयोग करने के कारण एक नकारात्मक धारणा लोगों के मन में बन रही है। ऐसे मामलों में कई बार तो अदालतों में मुकदमे दर्ज किए जाते हैं और अपराधी न्यायालयों में पेश भी होते हैं। उनमें से कई दोषी भी पाए गए हैं, लेकिन यह प्रक्रिया इतनी धीमी गत से चलती है कि देश की जनता यह महसूस करने लगती है कि राजनैतिक नेता और कार्यकर्ता अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके इस राजनैतिक भ्रष्टाचार को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जनता यह मानती है कि राजनैतिक लोग इस अपराध को दबाने के लिए प्रभावशाली हैं।...(व्यवधान)

मैं आपको बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में खाली मेरे जिले में जब उमा भारती जी पहली बार मुख्य मंत्री बनीं, उनसे पहले जो ... की सरकार थी, तो शिक्षाकर्मियों के घोटाले में मेरे ही जिले में 60 लोग दोषी पाए गए थे। लेकिन वह केस न्यायालय में पांच-सात साल से लम्बित हैं। मध्य प्रदेश में 1,000 से ज्यादा राजनैतिक नेताओं को सजा हो चुकी है। शिक्षाकर्मियों के घोटाले के मामले में वे सारे के सारे लोग आज बाहर घूम रहे हैं। ... (व्यवधान) जनता यह मान रही है कि ... लोग अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके ये जेल जाने से बच जाएंगे। पूरे देश में यह धारणा जा रही है, चाहे वह किसी भी प्रदेश में किसी भी मामले में हो। ... (व्यवधान) मेरा आपके माध्यम से देश के विधि मंत्री जी से निवेदन है कि राजनैतिक नेता, कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के रिश्वत लेने के मामलों की जांच के लिए विशेष न्यायालयों का गठन किया जाए। इन मामलों की सुनवाई इन विशेष न्यायालयों और पीठ में की जाए।... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया, लेकिन मैं अपनी पूरी बात इस व्यवधान के कारण नहीं कह पा रहा हूं। ... * आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Bhairon Prasad Mishra is permitted to associate with the issue raised by Shri Janardan Mishra.

...(व्यवधान)

डॉ. भागीरथ प्रसाद (भिंड) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बुंदेलखण्ड और चम्बल क्षेत्र से जुड़ी हुई एक मांग आपके सामने रखना चाहता हूं। भिंड से कोंच रेल लाइन बुंदेलखण्ड और चम्बलवासियों का लम्बे समय से सपना रहा है। हम रेल मंत्रालय और भारत सरकार के आभारी हैं कि उन्होंने अल्प समय में ही भिंड से कोंच रेल लाइन का सर्वेक्षण पूरा कर लिया है। इस लाइन से भिंड और बुंदेलखण्ड का पिछड़ा क्षेत्र झांसी-कानपुर मुख्य रेल लाइन से जुड़ जाएगा और आगे महोबा होते हुए, इलाहाबाद एवं सतना से जुड़ कर मुम्बई-हावड़ा

^{*} Not recorded as ordered by the Chair.

मुख्य रेल लाइन के सम्पर्क में आ जाएगा। दूसरी ओर बुंदेलखण्ड का सम्पूर्ण क्षेत्र इटावा, आगरा और दिल्ली से जुड़ेगा। इस रेल लाइन की लम्बाई लगभग 88 किलोमीटर प्रस्तावित है, अतः इतनी कम दूरी की रेल लाइन के निर्माण से चम्बल एवं बुंदेलखण्ड के विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। इस क्षेत्र में रेलों के आवागमन से बहुआयामी विकास का सृजन होगा। चम्बल क्षेत्र में जो विपुल भूमि सम्पदा है, कृषि उपजाऊ जमीन है, उद्यान और औद्योगिक विकास के जिए इस क्षेत्र का तेजी से विकास होगा। इसलिए मैं भारत सरकार विशेष रूप से रेल मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि प्रस्तावित रेल लाइन का निर्माण यथाशीघ्र शुरू कर दिया जाए...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Bhairon Prasad Mishra and Shri Bhanu Pratap Singh Verma are permitted to associate with the issue raised by Dr. Bhagirath Prasad.

श्री हरीश मीना (दौसा): महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया...(व्यवधान)

महोदय, यह ऐसा राष्ट्रीय हित का मुद्दा है, जिसमें कुछ ताकतें भारत के संविधान के द्वारा प्रदत्त एससी, एसटी और ओबीसी के रिज़र्वेशन को समाप्त करने पर तुली हुई हैं। अभी हाल ही में आईआईटी रुड़की ने 73 स्टूडेंट्स को एक्सपेल किया है। यह लड़के डिज़र्विंग थे और ऑल इण्डिया कम्पिटेटिव एग़जामिनेशन के थ्रृ इनका सिलेक्शन हुआ था। आरक्षण विरोधी शक्तियों ने साजिश रचकर इन बच्चों को एक साल के बाद ही वहां से निकाल दिया। अगर ये लड़के कमजोर थे तो ये कम्पिटेटिव एग़जाम में कैसे पास हुए? मैं यह मानता हूं कि ये बहुत ही डिज़र्विंग लड़के थे। ऐसा हो सकता है कि किसी चीज की कमी रही हो, लेकिन सरकार को प्रयास करने चाहिए थे। इनकी जो कमजोरी थी, उसको दूर करते और इनको मौका देते। यदि इसी राह पर यह लोग चलते रहे तो सरकार का जो रिज़र्वेशन का प्रावधान है, वह बेमानी हो जाएगा। एक हाथ से आप रिज़र्वेशन दे रहे हैं और दूसरे हाथ से आप रिज़र्वेशन हटा रहे हैं। यह गरीबों के साथ अन्याय है। यह पहली बार हुआ है और अगर इसको आज नहीं रोका गया तो आज जो आईआईटी रुड़की में हुआ है, कल आईआईएम या किसी अन्य संस्थान में होगा। इसलिए मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से और एचआरडी मिनस्टर से अनुरोध है कि इन बच्चों को फिर से मौका दिया जाए। इनका निष्कासन रद्द किया जाए और इनको दोबारा एडिमशन दिया जाए। इन सभी बच्चों के केस को सहानुभूतिपूर्वक देखा जाए...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Dr. Kirit P. Solanki and Shri P.P. Chaudhary are permitted to associate with the issue raised by Shri Harish Meena.

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन बच्चों का विषय शून्य काल में उठाना चाहता हूं जो न बोल पाते हैं, न सुन पाते हैं और न सुन पाते हैं...(व्यवधान)

महोदय, शारीरिक एवं मानसिक रूप से कमजोर बच्चों को अभी भी सामान्य छात्रों के साथ बराबरी में बैठकर शिक्षा हासिल करना बहुत कठिन काम है। देश में विकलांग बच्चों की संख्या के अनुपात में प्राथमिक, मिडिल, हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों की संख्या काफी कम है। संभागीय मुख्यालयों तक पर भी हाई स्कूल नहीं खुल पाये हैं। कस्बों एवं तहसीलों में भी एक भी प्राथमिक विद्यालय नहीं है तथा प्रशिक्षित शिक्षकों की भी कमी है। ऐसे में नगरों एवं महानगरों के बच्चों को शिक्षा के साधन एवं स्थान उपलब्ध होने से वहां के बच्चे तो फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ जाते हैं, किन्तु ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे शिक्षा से दूर ही रह जाते हैं। सीबीएसई में भी विकलांग छात्र दसवीं से बारहवीं तक जाते-जाते आधे रह जाते हैं। दिल्ली सहित सभी राज्यों में कमोबेश यही स्थिति है। दिल्ली में वर्ष 2014 में दसवीं की परीक्षा में जहां 2246 विकलांग छात्र थे, वहीं बारहवीं की परीक्षा में यह संख्या 1056 ही रह गयी। केरल में दसवीं में 535 छात्रों ने परीक्षा दी, जबिक बारहवीं में 90 छात्रों ने। महाराष्ट्र में भी दसवीं में 301 बच्चों ने परीक्षा दी। बारहवीं में घटकर संख्या 45 रह गयी। बिहार में दसवीं में 144 विकलांग छात्र थे, बारहवीं में घटकर 40 रह गए। उच्च शिक्षा में भी विकलांग छात्रों की संख्या नगण्य है। एनसीपीईडीपी के एक सर्वे के अनुसार देशभर में लगभग 150 कॉलेजों और विश्विवद्यालयों में अध्ययन कर रहे छात्रों की संख्या 1521348 है तथा इनमें विकलांग छात्रों की संख्या ८४४९ है, जो कुल छात्रों का मात्र ०.५६ प्रतिशत है। विकलांगता अधिनियम, १९९५ के क्रियान्वयन के लगभग 20 वर्षों के पश्चात जहां अनिवार्य कोटा तीन प्रतिशत होना चाहिए था, वहां यह मात्र आधे प्रतिशत के आसपास है जो कि बहुत ही निराशाजनक है। आत्मा राम सनातन धर्म कॉलेज में विकलांग छात्रों का जो दो परसेंट का कोटा था, उसमें सात ऐसे छात्रों को प्रवेश मिल गया, जिन्होंने फर्जी विकलांगता के प्रमाणपत्र बनवा लिए। निजी स्कूलों में शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों के लिए एडिमशन देने व सुविधायें उपलब्ध कराने की दृष्टि से पूरे देश में हालात हुत ही खराब है। ...(व्यवधान) शिक्षा के व्यावसायीकरण के चलते संवेदनशील मुद्दे पर काफी उदासीनता है। विक्लांग बच्चे समाज की उपेक्षा के शिकार तो होते हैं, विद्यालयों में सहपाठी और शिक्षकों के द्वारा भी उपेक्षित होते हैं तथा परिवार के लोग भी एक समय के बाद उन्हें उनकी हालत पर छोड़ देते हैं। ...(व्यवधान) मंदबुद्धि, नेत्रहीन एवं विक्लांग बच्चों को स्वावलंबी बनाने हेतु शिक्षा प्रथम पायदान है, क्योंकि बिना अक्षर ज्ञान के जीवन की विकलताएं और भी बढ़ जाती हैं। ...(व्यवधान)

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि विक्लांग छात्रों की उचित शिक्षा एवं आत्मनिर्भरता हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत देश के सभी राज्यों में अंध-मूक-बिधर विक्लांग विद्यालयों की संख्या बढ़ाने एवं उनमें प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा मानवीय संवेदनाओं सिहत शिक्षा देने की शीघ्र कार्यवाही कराने का सहयोग करें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Bhairon Prasad Singh and Dr. Kirit P. Solanki are permitted to associate with the issue raised by Dr. Virendra Kumar.

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने क्षेत्र की बात नहीं करूंगा, अपने प्रदेश की बात नहीं करूंगा, लेकिन देश की बात जरूर करूंगा।...(व्यवधान) पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि लगातार मीडिया में एक आतंकवादी के बारे में जिस तरह से बार-बार चर्चा की जा रही है, ...(व्यवधान) एक तरफ हम ह्यूमैन राइट्स की बात करते हैं, लेकिन ह्यूमैन रिस्पांसिबिलिटी की बात नहीं करते। उसके अधिकारों की बात की जाती है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी की बात नहीं कही जाती है।...(व्यवधान) बेगुनाह लोग मरते हैं, उनके बारे में कम दिखाया जाता है, मारने वाले को ज्यादा दिखाया जा रहा है, हमें इस बात की चिंता ज्यादा होती है। ...(व्यवधान) हमें दुख इस बात का है कि भारत लगातार टैररिस्ट्स के लिए सोफ्ट टारगेट बनता चला जा रहा है। क्या हम इस बात पर चिंता व्यक्त करेंगे और इस पर चर्चा करेंगे या केवल हंगामा खड़ा करते रहेंगे। ...(व्यवधान) मुझे लगता है कि भारत के सामने एक बड़ी चुनौती है, जो देश के अंदर बैठकर अगर एक झंडा चार लोग उठाते हैं, चालीस करोड़ लोगों तक कौन पहुंचा रहा है, उन्हें अपनी जिम्मेदारी के बारे में सोचना पड़ेगा।...(व्यवधान) देश के कोने में एक झंडा उठाया जाता है, लेकिन चालीस करोड़ लोगों तक पहुंचाया जाता है, क्या हम इस बात पर चिंता नहीं करेंगे।...(व्यवधान) फांसी की सजा 23 वर्षों के बाद दी जाती है, लेकिन चार-चार दिन तक उस पर चर्चा चलती है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बैंच यह तय करता है और चार बृद्धिजीवी लोग रिटायर होने के बाद किस विषय पर चर्चा करते हैं। ...(व्यवधान) 23 वर्षों तक बेगुनाह लोग उन्हें फांसी चढाने का इंतजार करते हैं और कुछ लोग अपनी कलमें काली करके उन बेगुनाह लोगों को जिन्हें आज अपना अधिकार मिला है, उसके बारे में चर्चा होती है।...(व्यवधान) इस पर हमें पीड़ा होती है। मेरे हिमाचल प्रदेश के हर चौथे घर से एक फौजी इन आतंकवादियों को रोकने के लिए अपनी जान देता है, अपनी जान कुर्बान करता है,...(व्यवधान) लेकिन आतंकवाद के नाम पर देश में जहर घोलने वालों द्वारा जब उसे बचाने का प्रयास किया जाता है तो पीड़ा होती है और ये लोग देश की बात करने की बजाय यहां हाय-हाय करते हैं।...(व्यवधान) ये लोग देश को क्या बचायेंगे। इसीलिए मैं बार-बार कहना चाहता हूं कि पीड़ा होती है, जब यहां बैठे हुए ये बच्चे देखते हैं कि सदन को चलाने वाले, देश

को चलाने वाले उनकी सुरक्षा की बात नहीं करते, बल्कि अपनी राजनीतिक रोटियां यहां सेकते हैं।...(व्यवधान)

में मीडिया के मित्रों से भी कहना चाहता हूं कि वे चार लोगों की बातें न सुनें, बल्कि देश को आगे लेकर चलें। धन्यवाद। ...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: S/Shri Bhairon Prasad Singh, Nishikant Dubey, Gajendra Singh Shekhawat, Ramsinh Rathwa, Maheish Girri, Kunwar Pushpendra Singh Chandel and Dr. Kirit P. Solanki are permitted to associate with the issue raised by Shri Anurag Singh Thakur.

श्रीमती अंजू बाला (मिश्रिख): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। ...(व्यवधान) मैं उत्तर प्रदेश के लोक सभा संसदीय क्षेत्र मिश्रिख से आती हूं। आज उत्तर प्रदेश सरकार की कानून एवं व्यवस्था एकदम से चरमरा गई है।...(व्यवधान) वहां हर दिन बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। पिछले तीन दिन में मेरे लोक सभा संसदीय क्षेत्र के विधान सभा क्षेत्र बिल्हौर, जो कानपुर में पड़ता है,...(व्यवधान) वहां पर मंदना में एक छात्रा के साथ चार लड़कों के द्वारा गैंगरेप किया गया। बिल्हौर के ही दूसरे क्षेत्र मदारपुर गांव में भी एक औरत के साथ बलात्कार किया गया, लेकिन अभी तक वहां उस बलात्कार की एफ.आई.आर. भी दर्ज नहीं की गई।...(व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार से कहना चाहती हूं कि अगर उनसे सरकार नहीं चलती है तो ऐसी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, जहां इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। ...(व्यवधान) वहां महिलाओं पर आए दिन बलात्कार हो रहे हैं। मेरा कहना है कि वहां ऐसा कानून बनना चाहिए, जिससे वहां ऐसा अपराध करने वाले लोगों में उसकी दहशत पैदा हो,...(व्यवधान) तािक ऐसी घटनाएं फिर से न हों। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से यहीं कहना चाहती हूं कि वह उत्तर प्रदेश को सरकार को यह निर्देश दें कि ऐसी घटनाएं दोबारा फिर न हों। ...(व्यवधान) आज वहां हर औरत अपने घर से निकलने में भी उरती है। इसिलए मैं बार-बार यहीं कहूंगी कि केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार को इस बारे में निर्देशित करे, तािक ऐसी घटनाओं पर तुरंत रोक लग सके। जयहिन्द।

SHRI V. ELUMALAI (ARANI): Tamil Nadu State Haj Committee has received 15,032 applications from pilgrims in Tamil Nadu for Haj 2015... (*Interruptions*). The Haj Committee of India has allotted a quota of only 2585 seats to Tamil Nadu this year. As per the guidelines for Haj 2015, 1699 pilgrims have been selected under the reserved category, while 886 seats have been utilized for the general

category pilgrims. This has left 12,000 applicants disappointed... (*Interruptions*). During earlier years, the Union Government had released additional seats which enabled a larger number of pilgrims from Tamil Nadu to perform Haj. A total of 3696 and 2858 pilgrims have performed Haj during Haj 2013 and 2014 respectively... (*Interruptions*). The hon. Chief Minister of Tamil Nadu Dr. Puratchi Thalaivi Amma has already written to the Prime Minister on this issue. I would appeal to the Government to release additional Haj quota for Tamil Nadu to enable more pilgrims to perform the Haj this year... (*Interruptions*).

श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर):उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र संत कबीर नगर के अंतर्गत खलीलाबाद चीनी मिल की तरफ आकृष्ट कराना चाहूंगा। ...(व्यवधान) महोदय, संत कबीर नगर पूर्वी उत्तर प्रदेश का बहुत ही पिछड़ा हुआ जनपद है। ...(व्यवधान) वहां पर एक मात्र खलीलाबाद चीनी मिल ऐसी थी, जो वहां के किसानों के नकदी फसल के आय के रूप में थी, लेकिन वहां के मिल के प्रबंधन तंत्र द्वारा जानबूझ कर कुछ भू माफियाओं से सांठ-गांठ कर, विशेषकर वहां के मिल के प्रबंधक की इसमें विशेश भूमिका रही कि उस मिल को अन्यत्र स्थानांतरित करने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है और आए दिन वहां से सामान ले जाना शुरू कर दिया गया है। ...(व्यवधान) मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि उस मिल को किसानों के हित के लिए और पिछड़े जनपद के हित को ध्यान में रखते हुए किसी भी तरह से हटने न दिया जाए। ...(व्यवधान) जिससे किसानों की आजिविका का जो एक मात्र साधन वहां गन्ना था, वह बरकरार रहे। ...(व्यवधान) मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को भी बधाई दूंगा जिन्होंने एक तारीख को इसके लिए विशेष रूप से एक बैठक बुलाई है। ...(व्यवधान) हमारी केंद्र की सरकार किसानों के हित के लिए चीनी मिलों को अब तक छह हज़ार करोड़ रूपये, देश हित में और किसान हित में बिना ब्याज के उपलब्ध कराने के लिए स्वीकृत कर चुकी है। ...(व्यवधान) आपने मुझे अवसर दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ...(व्यवधान)

श्री रमेश विधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): उपाध्यक्ष महोदय, मैं दिल्ली की गंभीर समस्या के बारे में बोलना चाहता हूँ। ...(व्यवधान) महोदय, दिल्ली के अंदर, दिल्ली की जनता के लिए जो पैसा दिल्ली के वैलफेयर के लिए खर्च होना था, एक मुख्यमंत्री ने अपनी महिमामंडन के लिए 526 करोड़ रूपये का वह फंड मात्र एडवर्टाइज़मेंट के नाम से बर्बाद किया जा रहा है। ...(व्यवधान) वह जो एडवर्टाइज़मेंट की जा रही है, वह भी झूठी हैं। ...(व्यवधान) उनमें हाई कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है और रिपोर्ट मांगी है। ...(व्यवधान) लेकिन मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि दिल्ली देश की राजधानी है, एनसीटी है,

केंद्र सरकार का वहां पर पूरा अधिकार होना चाहिए। ...(व्यवधान) लेकिन वे इस प्रकार के होर्डिंग लगार कर कि वे हमें परेशान करते रहे और हम काम करते रहे, ब्लैकमेलिंग करने का काम कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर एजुकेशन को लेकर जो फंड बढ़ाया गया है, वह डेढ़ गुना बढ़ाया गया है। ...(व्यवधान) जो पहला फंड था, ट्रेनिंग हैड का वह 2200 करोड़ रूपये था। ...(व्यवधान) अब जो बढाया गया है, वह 4500 करोड़ रूपये तो बढ़ाया है, लेकिन नॉन प्लानिंग का फंड खत्म कर दिया गया है। ...(व्यवधान) पहले सन् 2013-14 में यह फंड 6600 करोड़ रूपये था और अब बढा कर वह 9800 करोड़ रूपये किया गया है। ...(व्यवधान) वह डेढ गुना भी नहीं बनता है, लेकिन दिल्ली की सड़कों पर उस जनता के खून-पसीने के पैसे को जो टैक्स के माध्यम से जनता विकास के लिए सरकार को देती है, वह मुख्य मंत्री उसका दुरूपयोग कर रहे हैं। ...(व्यवधान) इसी प्रकार से वे अपना महिमामंडन करने के लिए एक एडवर्टाइज़मेंट चला रहे हैं। ...(व्यवधान) एक महिला की हत्या दिल्ली के अंदर हो जाती है। ...(व्यवधान) जब दिल्ली के अंदर मुख्य मंत्री कोई और होती है, वे लाचार बताते हैं। ...(व्यवधान) लेकिन आज एक महिला की हत्या होने पर टैलिविजिन और रेडियों में दिल्ली पुलिस के खिलाफ एडवर्टाइज़मेंट देते हैं। ...(व्यवधान) जबकि उनकी आँखों के सामने एक गजेंद्र चौहान नाम का किसान 20 मीटर की दूरी पर आत्महत्या करता रहा और इनके अंदर संवेदनशीलता नज़र नहीं आई। मुख्य मंत्री की पूरी टीम के सामने एक निर्दोष व्यक्ति मारा गया और वह मुख्य मंत्री आज उस एडवर्टाइज़मेंट के माध्यम से दिल्ली की जनता के पैसे को अपने महिमामंडन में लगा रहा है। ...(व्यवधान) मेरा निवेदन है कि केंद्र सरकार इस पर संज्ञान ले। ...(व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री रमेश बिधूड़ी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमित प्रदान की जाती है।

...(व्यवधान)

श्री पी.पी.चौधरी (पाली): महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया।...(व्यवधान) अभी हाल ही में पूरे देश में रेडी टू ईट फूड, फास्ट फूड, ड्रिंक्स, बोतल बंद पानी में खतरनाक पदार्थों की मानव स्तर से अधिक मात्रा के मुद्दे बड़े जोर-शोर से उठ रहे हैं।...(व्यवधान) कई उत्पादों पर रोक भी लगाई गई है।...(व्यवधान) कई उत्पादों की जाँच सक्षम एजेंसियों द्वारा कराई गई, परन्तु आज भी यह एक बड़ा प्रश्न है कि जो खाद्य पदार्थ इन जाँचों की प्रक्रिया से अभी भी बचे हुए हैं, उन्हें खाने से हमारी सेहत पर पड़ने वाले प्रभाव की मात्रा क्या है?...(व्यवधान)

जंक फूड स्वास्थ्य के लिए और विशेषकर बच्चों के लिए हानिकारक हैं, ऐसा सभी समझते हैं, परन्तु फास्ट फूड के अलावा बाजार में बिस्कुट, जूस, नमकीन जैसे अनिगनत खाद्य पदार्थ हैं, जिन्हें खाते समय देश का नागरिक अपने आपको डरा हुआ महसूस कर रहा है।...(व्यवधान)

आज देश की जनता सरकार से जानना चाहती है कि किस प्रकार देश के नागरिकों की खाद्य पदार्थों के प्रति सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी?...(व्यवधान) जबिक कई राज्यों में इन पदार्थों की जाँच के लिए प्रयोगशालाएँ तक नहीं हैं और जहाँ हैं, वे भी असक्षम हैं तथा अधिकतर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा नहीं करती हैं।...(व्यवधान) सभी खाद्य पदार्थों की जाँच को देश में एक ही एजेंसी के भरोसे छोड़ जाने पर भी प्रश्न उठता है, क्योंकि इनके द्वारा मान्यता प्राप्त टेस्टिंग लैब खाद्य पदार्थों के लिए ही नहीं, अपितु रबड़, पेट्रोलियम, रासायनिक आदि के लिए भी काम करती हैं, तथा इनकी संख्या भी देश भर में नाम मात्र की है।...(व्यवधान) इतनी कम लेबों पर देश भर की जाँचों का दबाव होने के कारण गुणवत्तापूर्ण परिणाम प्राप्त होने पर भी संदेह किया जा सकता है। यह भी देखने में आया है कि एक ही पदार्थ की अलग-अलग जाँच रिपोर्ट अलग-अलग बातें कहती हैं, जो कि पूर्णतयाः विरोधाभासी हैं।...(व्यवधान)

पुरानी सरकारों द्वारा की गई गलितयों के भरोसे देश की इतनी बड़ी आबादी के स्वास्थ्य संबंधी विषय को यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता है।...(व्यवधान) अब वक्त आ गया है कि देश में ऐसा ढाँचा तैयार किया जाए कि कोई भी खाद्य पदार्थ शत-प्रतिशत शुद्ध होने पर ही बाजार में बिकने के लिए आए। अगर फिर भी भविष्य में उसमें कुछ अस्वास्थ्यजनक पदार्थ पाए जाएं तो ना केवल कंपनी पर भारी जुर्माना हो, बल्कि उस पर आपराधिक केस भी दर्ज किया जाए।...(व्यवधान)

मेरा स्वास्थ्य मंत्री से निवेदन है कि इस मामले को देखा जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।...(व्यवधान) SHRI K. PARASURAMAN (THANJAVUR): Hon. Deputy-Speaker, Sir, under the guidance of our hon. Chief Minister Puratchi Thalaivi Amma, I would like to draw the attention of the Minister of Water Resources regarding the urgent need for ground water management.

Water is a natural and a national resource. Of all the water on earth, only one per cent is available for our use. Of the one per cent usable water, 99 per cent is ground water. India ranks number one in the world on ground water extraction. About 90 per cent is used for cultivation, 8 per cent for domestic use and 2 per cent for industrial use.

In most parts of our country, the rate of pumping is far more than the rate of replenishment resulting in a serious problem of ground water mining and because of this we are at a risk of water soluable waste products infiltrating and polluting the ground water supply.

Most parts of our country needs more water storage to be able to stop depleting the ground water. Indian water storage infrastructure is very dismal compared to other countries and we need to invest more on water storage infrastructure to avoid ourselves from landing in a very serious crisis.

I would like to urge upon the Government to take necessary action regarding the need to educate people on the importance of water storage at the local levels.

15.00 hrs

श्रीमती कमला पाटले (जांजगीर-चाम्पा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे मेरे लोक सभा क्षेत्र के महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ।

मेरे लोक सभा क्षेत्र के विधान सभा जैजेपुर एवं विधान सभा बिलाईगढ़ क्षेत्र से करीब बाइस लोगों को मलेशिया में कमाने-खाने के नाम पर ले जाया गया है और वहाँ उनको बंधक बना लिया गया है।..(व्यवधान) एक व्यक्ति ने अच्छा रोज़गार दिलाने का प्रलोभन देकर मलेशिया ले जाकर, वहाँ सिलेंगोर क्षेत्र के यूरो प्लास्टिक कंपनी में उन्हें काम में लगा दिया है।...(व्यवधान)

इनके परिवार के सदस्यों के अनुसार अब कंपनी इन्हें वापस आने नहीं दे रही है। बलपूर्वक काम कराया जा रहा है। खाना-पीना भी ठीक से नहीं दिया जा रहा है, तबीयत खराब होने पर उनका इलाज भी नहीं कराया जा रहा है। उनके मोबाइल, पासपोर्ट एवं आवश्यक कागज़ात कंपनी द्वारा छीन लिए गए हैं। ...(व्यवधान)

में सरकार से और विशेषकर माननीया विदेश मंत्री जी से अनुरोध करना चाहती हूँ कि उनके परिवार के लोग उनकी वापसी की गुहार कर रहे हैं। उनकी वापसी की कार्यवाही की जाए और उनको सुरक्षित अपने देश में, अपने क्षेत्र में, अपने गाँव में उनके परिवार के बीच में लाया जाए। ...(व्यवधान) श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा): उपाध्यक्ष जी, मेरे संसदीय क्षेत्र में सड़कों की हालत बहुत ही खराब है। मेरे संसदीय क्षेत्र में केवल एक ही राष्ट्रीय राजमार्ग है झांसी-मिर्ज़ापुर मार्ग। उसकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी है। भँवरी से लेकर बरगढ़ तक लगभग 80 किलोमीटर सड़कें पूरी तरह से उखड़ चुकी हैं। यहाँ से

माननीय केन्द्रीय मंत्री जी ने निर्देश भी दिया है लेकिन आज तक उसका काम शुरू नहीं हुआ है। हालत बहुत ही विषम है। प्रांतीय और ग्रामीण सड़कों की हालत और भी खराब है। एक किलोमीटर चलने में भी आधे घंटे से ज्यादा समय लगता है। मान्यवर, इससे अरबों रुपये का नुकसान हो चुका है। वाहनों की टूट-फूट से सैकड़ों लोगों की जानें जा चुकी हैं। इसमें बांदा की प्रमुख सड़कें जो राज्य स्तर पर और ग्रामीण सड़कें खराब हैं - बांदा-बगेरू-कमासिन-अमियादी मार्ग, अतर्रा-विसंडा मार्ग, खुरहंड-गिरवां मार्ग, ओरन-कमासिन मार्ग, बबेरू एवं कमासिन-मरका मार्ग, बांदा-विसंडा मार्ग, हस्तम मार्ग एवं चित्रकूट जनपद में कर्वी-राजापुर मार्ग, भौरी-बरवारा आदि मार्ग हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह प्रदेश सरकार को इस संबंध में निर्देश दें।

SHRIMATI ANUPRIYA PATEL (MIRZAPUR): Hon. Deputy-Speaker, Sir, thank you. Bharatratna *Lauhpurush* Sardar Vallabhbhai Patel was a leader who toiled to weave together the physical fabric of India. ... (*Interruptions*) It is unfortunate and strange that he still remains unsung and unknown and is hardly remembered or discussed across the nation, except for a brief mention on certain official occasions. ... (*Interruptions*) Since the NDA Government is bent upon making a course correction in the Indian iconography, I wish to point out that the Iron Man of India still waits a National Memorial. ... (*Interruptions*)

I, therefore, appeal to the NDA Government that it acquires the building at 1, Aurangzeb Road, Delhi where Sardar Vallabhbhai Patel dwelt as the first Home Minister and the first Deputy Prime Minister of India. ... (*Interruptions*) The Government should acquire that building back from the capitalist industrial family which stays there and should construct a National Memorial in the name of Sardar Vallabhbhai Patel. ... (*Interruptions*) The focus of which should be national integration, administrative reforms, federalism and rural development. ... (*Interruptions*) Thank you very much. ... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Bhartruhari Mahtab and Shri C.R. Chaudhary are allowed to associate with the matter raised by Shrimati Anupriya Patel.

... (Interruptions)

HON. DEPUTY-SPEAKER: The House stands adjourned to meet at 3.30 p.m.

15.03 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Thirty Minutes past Fifteen of the Clock.

15.31 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Thirty-One Minutes past Fifteen of the Clock.

(Mr. Deputy-Speaker in the Chair)

15.31 ½ hrs

At this stage, Shri Jyotiraditya M. Scindia and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

15.31 ½ hrs

MOTION RE: 12th AND 13th REPORTS OF COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

HON. DEPUTY SPEAKER: Now, the House will take up Item No. 40.

Shrimati Poonam Mahajan – not there.

Shri Kamakhya Prasad Tasa.

SHRI KAMAKHYA PRASAD TASA (JORHAT): Sir, I beg to move:

"That this House do agree with the Twelfth and Thirteenth Reports of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on 23 and 31 July, 2015, respectively."

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That this House do agree with the Twelfth and Thirteenth Reports of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on 23 and 31 July, 2015, respectively."

The motion was adopted.

15.32 hrs

PRIVATE MEMBER'S RESOLUTION

Immediate steps for rehabilitation and welfare of displaced persons from Kashmir who are living in various parts of the country in pitiable condition

HON. DEPUTY SPEAKER: Now, the House will take up further discussion on the Resolution moved by Shri Nishikant Dubey on the 20th March, 2015.

Shri B. Mahtab.

SHRI GAURAV GOGOI (KALIABOR): Sir, there is no Quorum. Where is the Quorum?... (*Interruptions*)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Hon. Deputy-Speaker, Sir, I stand here today to participate in the Resolution that has been moved by my friend Shri Nishikant Dubey.... (*Interruptions*)

Sir, the Resolution specifically states:-

"This House urges upon the Government to take immediate steps for rehabilitation and welfare of displaced persons from Kashmir who are living in various parts of the country in pitiable condition."

HON. DEPUTY SPEAKER: Quorum is there.

... (Interruptions)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Hon. Deputy-Speaker, Sir, I am of the opinion that this Resolution is a very pertinent one and this House should participate in the discussion and urge the Government to take steps.... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: This is a discussion on the Private Members' Resolution.

... (Interruptions)

SHRI GAURAV GOGOI: There is no quorum. Where is the Quorum?

HON. DEPUTY SPEAKER: Quorum is there. If you are not interested, that is a different issue. If you are not interested in the discussion on the Private Members' Resolution, that is a different issue.

... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Quorum is there. If you are not interested, that is different. If you are not allowing the discussion on the Private Members' Resolution, I will adjourn the House. That is all I can do.

... (Interruptions)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Sir, my request is this. We are not against the discussion on the Private Members' Resolution. We always supported it. We follow the democratic procedure and rules. But, today, the Monsoon Session has not yet started. For the last ten days, the agitation is going on. When this agitation is going on, how can the Private Members Business be taken up? We are not against it. Only one business alone cannot be taken up. We were not against the Private Members' Bill but we cannot take only one business. That is one thing. Everybody is in the well. As per your own instructions, you did not allow us to speak because we were in the well. How can you count all of us for the sake of Quorum? ... (Interruptions)

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): उपाध्यक्ष जी, प्राइवेट मेंबर बिल सदस्यों का अधिकार है। ...(व्यवधान) इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है। ...(व्यवधान) प्राइवेट मेंबर बिल सदस्यों का अधिकार है और सदस्यों के अधिकार का कोई हनन करता है तो वह लोकतंत्र के हित में नहीं है। ...(व्यवधान) इसलिए मैं चाहता हूँ कि प्राइवेट मेंबर बिल चालू रहना चाहिए।...(व्यवधान)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: I stand here, Mr. Deputy Speaker, Sir, to participate in the Private Members' Resolution. ... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Mahtab, you can continue next time.
... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: The House stands adjourned to meet on 3rd August, 2015 at 11 a.m.

15.37 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, August 3, 2015/Shravana 12, 1937 (Saka).